

असाधार्ग EXTRAORDINARY

MIN II—FUE 2—34-345 (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

do 471] No. 471]

नई दिल्ली, सोनवार, जुलाई 31, 1989/आत्रत 9, 1911 NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 1989/SRAVANA 9, 1911

इ.स. भाग में भिल्ल पृष्ठ संख्याकी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रीय भावाम सैंक

ग्रधिसुचन।

मर्ड दिल्ली, 31 जुलाई, 1989

[राष्ट्रीय प्रत्याम मैंक प्रधिनियम, 1987 (1987 कर प्रधिनियम सं. 53)

के ग्रधीन निगमित]

राष्ट्रीय भावास मैंक (बंधपली का पुरोधरण भीर प्रबंध) विनिधम, 1989

का. भा: 600(भ्र):—राष्ट्रीय भावास बैंक, राष्ट्रीय भावास बैंक सिर्धिनयम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त भक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्ष बैंक के पूर्व भनुमोदन से और केन्द्रीय सरकार से परामर्थ करके, निम्नलिश्चित विनियस सनाता है, भ्रचीत :

- संक्षिप्त नाम भीर लागू होता: (1) इन विनियनों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय छात्रास बैंक (बंधपत्नो का पुरोधरण भीर प्रबंध) विनियम, 1989 है।
 - (2) ये निम्निशिक्कित को लासू होते:
 - (क) राष्ट्राय भावास बैंक द्वारा पुरोध्त भौर विकय की गई बंधपत श्रृंखना मं. 1 श्रीर ऐसी श्रन्य श्रृंखलाएं को राष्ट्रीय श्रावास बैंक द्वारा इन विनियमों के प्रश्न होने तक, पुरोधन की श्रामं।

(ख) राष्ट्रीय भावास बैंक द्वारा इन विनियमों के प्रकृत होने की तारीख से परोधन भीर विकय किए गए बंधपत्र।

REGISTERED NO. 10

- 2. परिभाषाएं: इन धिनियमों में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकृत न हो : -
 - (क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय भावाम बैंक भिधिनियम, 1987 (1987 का 53) अभिनेत है;
 - (ख) "बंधनत्र" से राज्द्रीय प्रावास कैंक द्वारा प्रधिनियम की धारा 15 की उपधारा (i) के खंड (क) के प्रधीन पुरोधन प्रौर विकय किए गए बंधपत्र प्रभिन्नेत हैं।
 - (ग) "विरुप्ति बंधपत्न" से एसा बंधपक्ष स्विभिन्नेत है जिसे स्वपठनीय बना दिया गया है सौर जिसके मारवान साग को स्वपाठ्य बना दिया गया है सौर किसी बंधपत्न के सारवान भाग वे हैं, जहां—
 - (i) बंबपत्र का संख्यांक, पुरोधरण जिससे वह संबंधित है श्रीर उसका श्रीकत भून्य या ब्याज का संदाय श्रीभ-लिखित है; या
 - (ii) पृथ्ठांकन या पाने वाले का नाम लिखा जाता है; या
 - (iii) नवीकरण रसीद या अंतरण आपन विया जाता है।
 - (व) "प्ररूप" से इन विनियमों की घनुसूची में उपवर्णित कोई प्रारूप प्रक्रियेन है;

- (क) "गुम बंघपल" से ऐसा बंघपल अधिप्रेत है जो बास्तव में नुम ही गया है भीर इससे ऐसा बंघपल भाजनेत नहीं है जी, धाबाकर्शी के प्रतिकृत किसी व्यक्ति के कब्बे में है;
- (च) "विकृत बंधपक्ष" से ऐसा बंधपक्र अभिन्नेत है जिसका सारवान भाग नष्ट हो गया है, फ़ट गया या नुकसानग्रस्त हो गया है;
- (छ) "पुरोबरण कार्यालय" से राष्ट्रीय द्यावास बैंक का बहु कार्यालय प्राथिप्रेत है जिसकी बहियों में कोई संधपत रिजस्ट्रीकृत किया जाता है या रिजस्ट्रीकृत किया जाता है या रिजस्ट्रीकृत किया का निकास है;
- (ज) "विहित मधिकारी" से राष्ट्रीय भाषास बैंक के ऐसे पिष्ठिकारी मित्रिये हैं जिल्हों वितियम 11, विनियम 12, विनियम 13, विनियम 14, विनियम 16, वितियम 17 भीर विनियम 18 के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्वेशक बोर्ड बारा प्राधिकृत किया जाए।
- (स) "स्टाक प्रप्राणपत्र" से विनियम | 3 कें अधीन⊹ पुरोधृत स्टाक प्रमाणपत्र भ्रमिप्रेत हैं।
- 3. बंधपत का प्रका भीर उसके मंतरण का हंग, मावि-- (1) बंध-क्य निम्नलिखित प्रकप में पुरोग्रत किया जा सकेगा:---
 - (क) वचनपत्र को अनुक व्यक्ति को या उसके आयेश से संदेव ही;या
 - (ख) राष्ट्रीय ब्रावास बैंक की विदियों में रिजस्ट्रीकृत स्टाक के लिए स्टाक प्रमाणपत्ता।
 - (3)(1) वचनपत्त के रूप में पुरोधन बंधपत्र पृष्ठांकन और परिदान द्वारा उसी प्रकार संतरणीय होगा जिन प्रकार वचनपत्र झावैण पर संदेय होता है।
 - (2) बबनपत के रूप में पुरोधुत बंधपत पर कोई भी क्षेत्रन पर-कामण के प्रयोजन के शिए विधिमान्य नहीं होगा, यदि ऐसा लेखन बंधपत द्वारा ग्रंकित रकम के केवल एक भाग को जंग-रण करने के लिए तास्प्रियत हो।
 - (3) स्टाक प्रमाणपत्न के रूप में पुरोधृत धौर राष्ट्रीय धावास बैक की बहियों में रिजस्ट्रोकृत कोई संघपता, प्रक्रप 1 में व्रतरण की जिल्लत के निष्पाधन द्वारा या तो पूर्वतः या मागतः धंतरणीय हीगा। ऐसी दमा में घंतरक स्टाक प्रमाणपत्न के रूप में पुरोधृत संघपत्रों का, जिससे धंतरण संबंधित है, धारक तब तक समझा जाएगा जब तक कि घंतरिती का नाम राष्ट्रीय झावास बैंक में रिजस्ट्रोकृत नहीं हो जाता है।
 - (4) (क) इसमें प्रतिकृत किसी बात के होते हुए बी, राष्ट्रीय प्रावास बैंक, बंधपसों के हकसार किसी व्यक्ति के प्रमुरोध पर राष्ट्रीय प्रावास बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में बंधपर्सी के हकदार व्यक्ति के नाम पर प्रविष्ठि के रूप में बंधपत्र प्रतिकृत कर सकेगा।
 - (का) बंधपत्नों, धारंभ में बंधपत्नों के लिए प्रतिश्रृति के समय पर या बाद में पुरोध्नत बंधपत्नों को बचन पत्न या स्टाक प्रमाणपत्न के रूप में संपरिवर्तन द्वारा राष्ट्रीय प्रावास बैंक की खाना बहियों में एक प्रविष्टि के रूप में पुरोध्न किए जा सकते हैं।
 - (ग) यदि कोई बंधपत पहले ही वसनपत के रूप में पुरेश्वृत किया जा सूक्षा है तो ऐसा बंधपत धारक जो उसे राष्ट्रीय मायास बैंक के पास स्वाते में प्रविष्टि के रूप में धारण करने का बज्जूक है।

- बंधपक को राष्ट्रीय झावास बैंक की खाता विश्वयों में एक प्रविच्छि के क्या में धारित किए जाने के लिए प्रकृत 2 में अध्यपेक्षा करेना और राष्ट्रीय झावास बैंक के पक्ष में सम्बक्ध पृष्टोंकित बंबपन्न को अञ्चपित कर देगा।
- (म) यदि बंबपत स्टाक प्रमाणपक के रूप में पुरोधृत किया गया है ती धारक बंधपत्र को राष्ट्रीय भावास बिक के पक्ष में इस अभुरोध के माथ अंतरित करेगा कि बंबपता को राष्ट्रीय धावास बैक द्वारा रखें 'जाने वाले खाते में एक प्रक्रिक के रूप धारक के माम पर धारित किया जा मनेता।
- (क) राष्ट्रीय भ्रावास बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र धारण करने वाला कोई अपनित, प्ररूप 3 में अबियन करके, बंधपत्नों को वचनपत्र या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में अंतरित या संपरिवर्गित करा मकेगा।
- (च) राष्ट्रीय प्राथास वैंक की खाता बहियों में एक प्रविध्ट के इस में बंधपक्षों के पुरोधरण लिए या वचनपत्र या स्टाक प्रमाणपक्ष के रूप में पहुंचे से पुरोधन बंधपत्नों को राष्ट्रीय प्राचास बैंक की बहियों में एक प्रविध्ट के रूप में संपरिवर्तित करने या इसके विध्वयंग्रेन कि लिए कोई फीम प्रकार्य नहीं हैं।
- (छ) शाब्दीय बाबास किंक की बहियों में एक प्रविष्टि के रूप में पुरोक्षत या वारित बंधपल प्ररूप 4 में अंतरण की एक लिखत के | निष्पादम देवारा देवरणीय होंगे। ऐसे मामखों में अंतरक को उन बंधपत्नों का जिनसे खंतरण संबंधित है, ऐसे समय तक धारक समझा जाएमा जब सक कि खंतरितों का नाम राष्ट्रीय धावान वैंक की बहियों में दर्ज नहीं कर लिया जाना है।
- (5) (1) बंधपत्र राष्ट्रीय घावास बैंक के घष्यक्ष के मुस्ताधर से जारी किया जाएना घीर ऐसे मुद्रिन उल्कीण या णिला-मुद्रिन या ऐसी चन्य योक्रिक प्रक्रिया द्वारा छापित किया जा सकेना जैसा राष्ट्रीय जावास बैंक नियेश करें।
- (2) इस प्रकार मुक्रित, उरकीर्ण, जिलामृद्रित या घन्य क्य में छापित हस्ताक्षर वैसे ही विधिमान्य होगा मानी वह स्वयं हम्नाक्षरकर्मा के समृज्ञित हस्तसेख हाग अंतर्लिखन है।
- (6) क्वनपत्रज्ञ के रूप में किसी बंधपत्न का कोई पृथ्ठांकन या रहाक प्रमाणपत्न के रूप में किसी बंधपत्न की दशा में शंतरण की कोई लिखत तथ तक विधिमान्य नहीं होंगी जब तक कि वह धारक था उनके सम्बद्धत् नियत प्रटेनी या प्रतिनिधि के हस्ताक्षर द्वारा वचनपत्र के रूप में बधपत्न की दशा में बंधपत्न के विश्वे सीर स्टाक प्रमाणपत्न की दशा में शंतरण की लिखन पर शंतिविस्तित नहीं कर दी जाती है।
- 4. ज्याम जिन्हों सान्यमा प्राप्त नहीं है:---(1) राष्ट्रीय झावास कैंक किसी बंधपत की बाबत जसमें आरक के पूर्ण झांचकार की छोड़कर, किसी न्यास या किसी झांधकार को किसी. भी रूप में, उसकी सूचना विष् जाने पर भी, मोध्यता देने के लिए बाध्य या विवण नहीं होगा।
 - (2) उपिनियम (1) के उपबन्धों पर प्रतिकृत प्रभाव इति बिना, राष्ट्रीय प्राचान वैंक ग्रन्थल के रूप में और राष्ट्रीय ग्राचान वैंक पर कोई बाध्यता के विना, स्टाक प्रमाणपत्न के रूप में पृरोधृत बंधपत के धारक हारा स्टाक प्रमाणपत्न पर क्यांच के वा उसके परिपत्वत मुख्य के नदाय के लिए था स्टाक प्रमाणपत्न पर क्यांच के तिए था स्टाक प्रमाणपत्न से संबंधित ऐसे मामलों के अंतरण के संबंध में, ऐसे निदेश ध्रपनी बहियों में ध्रमितिकित कर सहैया, जैसे राष्ट्रीय ग्रावाम वैंक उद्यान समझे।

- 5. न्यासियों या पदवारियों द्वारा स्टाक प्रमाणवत के कर में पुरोप्नृत को क्षारण करने के लिए अपबंख :---
- (1) स्टाक प्रमाणपत्न के रूप में बंधपत्न की किसी पद धारक द्वार ---
- (कः) राष्ट्रिय भाजास बैंक कर्ज बहियों और स्टाक प्रमाणपत्न में न्यासों के कप में चाहे भागते आविदन में विनिर्दिष्ट भाजास की किनी न्यासी के रूप में या चाहे किनी ऐसे वर्गीकरण के बिना, व्यासी के रूप में वा अपने नाम पर आरण किया जा सकता है।
- (सा) भाषते पदनाम पर धारण किशा जा सहता है।
- (2) राष्ट्रीय भाषास वैंक द्वारा भनेकित प्रक्रम में राष्ट्रीय भारत स् भेक को लिखित रूप में भाषेदन किए जाने पर, उस व्यक्ति द्वारा, जिसके नाम में बंधपत है, बंधपत के भन्यपित कर दिए जाने पर राष्ट्रीय भाषान वैंक--
- (क) घपनी बहियों में ऐसी प्रविष्टि कर सकेगा जिसमें उसे किसी विनिविष्ट न्यास का न्यासी या किसी न्यास के विनिविष्य के विना, न्यासी किया गया होगा और उसके नाम पर स्टाक प्रमाणपत्र पुरोपूत कर सकेगा। जिसमें यथास्थित, न्यास के विनिविष्य सहित या रहित न्यासी के रूप में उसका वर्णन होगा; या
- (ख) भावेदक के भनुरोध के भनुसार, उसके पद के नाम पर उसे स्टाक प्रमाणपद्ध पुरोधृत कर सकेंगा और भपनी वहियों में प्रविध्य कर सकेंगा खिसमें उसे उसके पद के नाम पर स्टाक घारक विश्वत किया गया है, परन्तु ग्रह तब जबकि
 - (i) अनुरोध इसके उपविनियम (i) के उपविधोक अनस्य हो ,
 - (ii) राष्ट्रीय प्रावास वैंक द्वारा उपविनिधम (7) के निषंधना-नुसार प्रवेक्षित अःवस्यक साक्ष्य वी गई हो, भीर
 - (iii) बंधपत्न, यदि यह बजनपत्न के अप में हो तो, राष्ट्रीय आवास बंध के पक्ष में पृथ्ठांकित सिवा गया हो और यदि स्टाक प्रमःण-मत्न के रूप में हो तो उसे रिजस्ट्रीकृत आरक द्वारा प्ररूप 5 में प्राप्त किया गया है।
- (a) उपिनियम (i) के सधीन स्टाक प्रमाणपद पर धारक द्वारा सकेंस या किसी भी झाम्य व्यक्तियां व्यक्तियों के साथ या कोई पद धारण करने बाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारण किया जा सकेगा।
- (4) जब स्टाक किसी व्यक्ति द्वारा घर्यने पद के नाम पर छारण किया जाता है तब संबद्ध स्टाक्ष प्रमाणपत्र से संबंधित कोई दस्तावेज तस्तम्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा नाम से जिसमें स्टाक प्रमाणपत्र धारित ्किया जाता है, निष्पादित की जा सकती है मानो उसके स्वंद के नाम का है। कष्म किया गया है।
- (5) वहां किसी ऐसे स्टाफ प्रमाणपत धारक द्वारा जिसे राष्ट्रीय धावास बैंक की बहियों में ध्यासी या पदधारक के रूप में विजत किया गया है, जिल्लावित किए जाने के जिए तात्यपरित कोई अंतरण विलेख, मुक्तारनामा या धन्य पस्ताजेज राष्ट्रीय धावास बैंक के समझ प्रस्तुत किया जाता है वहां राष्ट्रीय धावास बैंक का सार्य इस बात की जांच पड़तास करना महीं होगा कि क्या स्टाक प्रमाणपत धारक किसी ग्यास या वस्ताजेज था मियमों के ध्यान किसी ऐसी गक्ति को प्रवान करने के जिए या ऐसा विलेख या प्रस्य वस्ताजेज निल्पायित करने के लिए हक्तवार है और वह अंतरण विलेख, मुक्तारनामा या वस्ताजेज पर उसी रीति से कोई कोई सर सकेगा मानो निल्पायक स्टाक प्रमाणपत धारक है और वाहे स्टाक प्रमाण पत्न धारक को अंतरण विलेख, मुक्तारनामा या वस्ताजेज पर उसी रीति से कोई कोई सर सकेगा मानो निल्पायक स्टाक प्रमाणपत्न धारक है और वाहे स्टाक प्रमाण पत्न धारक को अंतरण विलेख, मुक्तारनामा या वस्ताजेज में स्थासी के क्या या पद खारक के रूप में वांगत किया गया ही या न तिया गया हो

और चाहे वह न्यासी या पव आएक को अपनी हैसियत में अंतरण विलेख, मुक्तारनामा या वस्तावेज विष्पादित करने के लिए शास्पर्धित है या तास्पर्धित नहीं है।

- (6) किसी कास या किसी दस्त वेज या नियमों के भजीत किती त्यासी या पद धारकों या किसी दास या किसी या पद धारकों और हिन। धि-कारियों के बीच इस विनियम को किसी यात से यह नहीं सममा जाएगा कि वह त्यासियों वा पद धारकों को उसते मिन्न कार्य करने के लिए प्राधिकत करती है जो न्यास को लाग् विधि मासन के त्यास का गठन करने वालो लिखत के निबंधनों के या ऐसे संगम को बासका स्टाक प्रमाणपत्र घारक एक पदधारक है, गासित करने वाले नियमों के भनुसार है, और न हो राष्ट्रीय भावास बैंक या कियों स्टाक प्रमाणपत्र में कोई हिन बारण करने वा माजित करने बाला कोई व्यक्ति कितो स्टाक प्रमाणपत्र के या किसी स्टाक प्रमाणपत्र धारक के संबंध में राष्ट्रीय भावास बैंक द्वारा रखें गए किसी राजस्टर में किसी प्रविधित के से संबंध में राष्ट्रीय भावास बैंक द्वारा रखें गए किसी राजस्टर में किसी प्रविधित के या स्टाक प्रमाणपत्र से संबंधत किसी वस्ताबेक में किसी बास के कारण से हैं। किती व्यास के या किसी स्टाक प्रमाण पत्र घारक को बैंक्वासिक हैंसियत को या किसी स्टाक प्रमाणपत्र के धारण से संबंधन किसी वस्ताबिक हैंसियत को या किसी स्टाक प्रमाणपत्र के धारण से संबंधन किसी वस्ताबिक हैंसियत को या किसी स्टाक प्रमाणपत्र के धारण से संबंधन किसी वस्ताबिक हैंसा।
- (7) इस विनियम के अनुसरण में, किसो व्यक्ति द्वारा किसी पद के आरक के रूप में किए गए किसी आवेदन पर या निव्यादित किए जाने के लिए सार्स्पिस किसी बस्तावेज पर कार्रवाई करने के पूर्व, राष्ट्रीय आवास बैंक यह साक्य अस्तुत करने की आना कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति सरसमय उस पब का धारक है।
- 6. न्यास या न्यासियों द्वारा वजनपत्रों के रूप में पुरीवृत्त बंधपत्रों को बारण करने के लिए उपबंध:--
 - (1) विनिधम 4 के विनिधम (1) के उपबंधों पर प्रतिकृत प्रभाव हाले बिना, राष्ट्रीय फाजास बैंक, अविदक के अनुरोध पर और राष्ट्रीय प्राथास बैंक को वायित्वाधीन बनाए बिना, धवास्थिति, किसी विनिधिष्ट न्यास था उस न्यास के न्यासी (न्यासियों) के नाम पर या अविदक के स्त्रंत्र के नाम पर, उसे न्यासी बताते हुए आहे वह उसके घावेदन में विनिधिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में ही या ऐसे विनिधिष्त पुरोष्त्र कर सकेगा।
 - (2) जहां अचनपत्र के रूप में कोई बंघपत्र किसी घारक के स्वयं के नाम पर है यहां राष्ट्रीय झावास बेंक, घारक ढारा राष्ट्रीय शावास बेंक ढारा मंपेक्षित प्ररूप में किए गए किसी झावेदन पर और ऐसा बंघपत्र अभ्यापत करने पर इसके उप विनियम (1) में झिंधकियत रीति में, बचनपत्र के रूप में नवीकृत बंधपत्र पुरोधत कर सकेगा:

परन्तु यह तथ जबकि -

- (i) इसके उपविनिधम (6) के निबंधमामुसार राष्ट्रीय मावास वैक द्वारा प्रवेक्तित, प्रावक्यक साक्य दी गई ही , और
- (ii) बंधपल को राष्ट्रीय ग्रावास वैंक के पक्ष में पृथ्विक्तिस किया गया हो।
- (3) उप विनियम (1) के झर्टीन बंपबल को किसी व्यास के त्यासी द्वारा घफेले या उस त्यास के त्यासियों के कप में किसी झत्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप में ब्रास्ति किया जा सकैया।

- (4) जेही यचनपत्न के रूप में किसी बंधपत्न की जो न्यासी के रूप में बंधपत्र धारक द्वारा पृष्ठांकित किए जाने के लिए तत्पीयत है, राष्ट्रीय भावास चैंक के समक्ष प्रस्तुस किया जाता है वहां या जहाँ किनों मुख्यारनामा या भ्रन्य वस्तावेज को जो बंधपन्न धारक द्वारा निष्पावित किए जाने के लिए साद्यीयत है, राष्ट्रीय भावास वैंक का कार्य इस बाल की जांच पड़ताल करना नहीं होगा कि क्या बंधपत्र धारक कियो न्यास या दस्तावेज के निबंधतों के अप्रोत या नियमों के अप्रोन ऐसा पृष्ठांकन करने का या ऐसा मुख्य-रनामा या भ्रत्य दस्तःवेज निष्पदितः करने का हकदार हैं और वह पृष्ठांकन मुख्तारनामा या प्यस्तावेज पर उसी रीति से कार्य कर संकेश मानो ऐसा पृथ्ठांककर्ता बंधपत्र घारक है और चाहे बंधपत्र धारक को पृष्ठांकन, मुख्तारनामा या दस्तायेज में स्थाती के रूप में वर्णित किया गया हो या न किया गया हो और चाहे वह न्यासा जा प्रथनी हैसियत में पृष्ठांकन करने या मुक्तारनामा या दस्तावेज निष्पादित करने के लिए तात्पित है या तास्पर्धित नहीं है।
- (5) किसी त्यास या किमी दस्ताविज या निवमों के अधीन किन्हीं स्थासियों और हिताधिकारियों के बीच इन विनिधमों की किसी बात से यह नहीं सबसा जाएगा कि वह त्यासियों को उससे मिला कार्य करने के लिए प्राधिकत करती है जो त्यास की लाए विश्व निधमों के या त्यास का गठन करने वालो लिखित के निष्यों के मनुतर है।
- (6) इस विनिधम के अनुसाण में किनी व्यक्ति द्वारा किसी त्यास के त्याता के रूप में किए गए किसे आवेदन पर कार्य करने के पूर्व राष्ट्रीय आजान में हिए सहस्य पेश करने की अपेका कर सकेगा कि ऐता व्यक्ति उस न्यास का तस्समय न्यासी है।

7 घारक बनाए जाने से निर्जारित व्यक्तिः

कोई प्रवासक और ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सक्षम स्थायालय रारा विकृत्त चिता पाया गया है बंधानों का धारक होने के लिए हकवार महीं होगा।

8. स्थाज का संवाय:

- (1) वचनपत्र के रूप में बंधपत्र पर ब्याज का संवाय बंधपत पारपैकटम में विनिर्दिष्ट पुरोधाःण का पनिष या राष्ट्रीय प्राचाप बैंक के किसी प्रत्य कार्यालय द्वारा, बंधपत्र के धारक द्वारा ऐसी औपचारिक पत्रों का पालन करने के अधीन रहते हुए, जिनकी राष्ट्रीय प्रावास बैंक प्रपेका करे, और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
- (2) स्टाक प्रमाणपत्न के रूप में बंधपत्न पर व्याज का संदाय राष्ट्रीय धावास बैंक द्वार जारी किए गए प्रधिपत्नों (वारंट) द्वारा किया जाएना और जो र ब्ह्रीय धावास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या धानुसूचित बैंक के स्थानीय क यांचय में संदेय होगा। व्याज का संदाय करती समय स्टाक प्रमाणप प्रस्तुत करना धावयमक नहीं होगा किन्तु पाने बाल धिधपत्न के पीछे तरक प्राप्ति की धामिस्बीकृति देगा।
- (3) राष्ट्रीय मानस बैंक की बहियों में एक प्रविष्टि के रूप में भारित बंधपत पर ब्याफ राष्ट्रीय मानस बैंक द्वारा पने नाने के खाते में देय रेखांकित मधिपत जारी करके या ऐसी मन्य रीति से जो राष्ट्रीय मानस बैंक द्वारा करार पाई जाएं, संदक्ष किया जाएगा।
- 9. प्रक्रिया, जहां वचनपत्न के रूप में बंधपत्न गुम हो जाता है, मादिः (1) किसी ऐसे बंधपत्न के जिसके पूर्णतः या अंगतः गुम, चोरी, नष्ट, विरूपित या बिकृत हो जाने का मिमकथन है, स्थान पर दूसरी प्रति जारी

करने के लिए प्रत्येक प्रावेदनपत पुरोधरण कार्यालय को भेजा ज एका और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, भर्यात:--

- (क) निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार बंधपन्न की विशिष्टियांः⊸— प्रतिकात राष्ट्रीय धांवास वैके बंधपन्नीं काःःःःःः
- (ख) पिछना मर्घ वर्ष जिसके लिए ब्याज संदश किया गया है;
- (ग) वह व्यक्ति जिसको ऐसा ब्याज संदत्त किया गया बा;

ं ' ' ' स[ं] का वंबपक्ष सं ' ' ' ' ' ' '

- (घ) वह ज्यक्ति जिसके नाम पर बंधपन्न पुरोबृत किया गया या यदिज्ञातहो ;
- (क) वे परिस्थितियां जिनके कः रण हानि, जोरी, विनाश, विकपकरण या विकृति हुई है; और
- (च) क्या हानि या घोरी की पुलिस को रिपोर्ट की गई बी।
- (2) ऐसे भ बेदनपत्र के स.य निम्नलिखित संलग्न होंगे:---
- (क) जहां बंबरत रिजिंद्रीइत ब क से भेजने के बौरान गुम गया है बहां उस पत्र को जिसनें बंबपत है, इ कबर रिजस्ट्री रसीद;
- (अव) यदि पुलिस को हंनि या चोरो की रिपोर्ट को गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति;
- (ग) यदि चानेदक रजिस्ट्रीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष यह सक्य देते हुए कि चानेदक बंधनत का धरितम विधिक धारक है, सपण पर लियागमा शपयपत्र और रिजस्ट्रीकृत धारक के हक का पता लगाने के लिए चान्यपक सभी वस्ता-बेजी साक्य; और
- (घ) ऐसा भाग या खंड जो गुमे, चोरी, नब्द, विकपित या विकृत हुए संघपन्नल का भवशेष हो।
- (3) यदि रेसे ब्याज पुरोबरण कार्यालय द्वारा संदेश नहीं है तो घावेदन की एक प्रति राष्ट्रीय धाव स बैंक के उस कार्यालय को भी भेजी जाएगी जहां ब्याज संदेश है। परण्तु भावेदन के साथ संलग्न धनुसगनकों की प्रतियों भेजना धावम्यक नहीं होगा।

10. र जपन्न में प्रधिमुखना — जवनपन के रूप में बंधपन या बंधपन के भाग की हिन, जोरी, जिन गा, विकृति या विरूपण को प्रावेदक द्वारा भारत के र जपन के या उस स्थान के जहां होनि, जोरी, जिन गा, विकृति या जिरूपण हुमा है, स्थानीय राजपन, यदि कोई हो, के तीन प्रामुक्तिक अंतों में तुरन्त प्रधिनुचित किया ज एगा। ऐसी प्रधिमुचन निम्नलिनित प्रकृप में या लयमण वेसे ही प्रकृप में होगी जैसी परिस्थितिया प्रमुक्तात करे:

"गुम गया है" (यथास्थिति "बोरी हो गया है", "नव्ट हो गया है", विकृत ही गया है", या "विकपित हो गया है") प्रतिक्रत राष्ट्रीय ग्रांबास बैंक बंधपत सं. के जो के का है, मूल रूप से किया गया है और अंतिम बार स्वांबारी को पृथ्ठांकित या, उसके द्वारा वह किसी ग्रंथ व्यक्ति को गुम ज ने/बोरी/नब्ट/विकृत/विकपित हो जाने के कारण कभी पृथ्ठांकित गहीं किया गया या, इसके द्वारा यह सूजना वी जाती है कि उपर्युक्त बंधपत और उस पर व्य ज का भुगतान पुरोधरण कार्यालय में रोक विया गया है और यह किया जाने बाला है या किया गया है। जनता को उपर्युक्त बंधपत खरीदने मा भन्यया व्यौह र करने से सावधान किया जाता है। ग्रांधसुबना जावी करणे वाले क्यांक क्यांक का माम

- 11. बंधान की दूसरी प्रति ज री करना और क्षतिपूर्ति लेना विनि-यम 10 में बिहित भरितम भिन्न स्वाप्त के प्रकाशन के पश्चात बिहित प्रधिक री, यदि उसे बंधपन की हाति, चोरी, बिनाश, बिक्ति या बिरूपण की और भावेदक के दाने में स्थाय होने की सूचना दी जाती है तो वह बिनियम 13 के प्रधीन प्रकाशित सूची में बंधपन की विशिष्टियां सिम्मलित करन एगा और पुरोधरण के यालय को प्रावेश वेगा कि वह:——
 - (क) यदि बंबपत्र का केवल एक भाग गुम, चोरी, सब्द, विक्रुत या विक्रित हुआ है और एउसका कोई ऐसा मांग जो उसकी पहचान के लिए पर्यान है, प्रस्तुत किया गया है तो, विनियम 13 के प्रधीन सूची के प्रकाशन के ठीक परचात या ऐसी भवधि की समाधित पर जो विहित भधिकारी उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से प्रावश्यक समने, इसमें इसके पश्यात विणित कतिपूर्ति बंधपत्र के निज्यादन पर, धावेदक की क्याज का संदाय करे और उसके बंधगत्र के बदने में जिसका एक भाग गुम, चोरी, नब्द, विक्रत या विक्षित हो गया है, बंधपन्न की एक दूसरी प्रति पुरोधृत करे।
 - (अत) यदि इस प्रकार गुमे, चोरी, तथ्ट, विक्रत या विरूपित हुए संक्षपत्र का कोई माग को उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो. प्रस्तुत नहीं किया गया है तो:──
 - (i) इस प्रकार गुमे, चोरी, नध्ट, विकृत या विक्षित हुए, यंध्रपत्न के बारे में, उक्त सूची के प्रकाशन के वो बर्फ पश्चात और इंसमें इसके पश्चात विहित रीति में क्षति-पूर्ति बंध्रपत्न के निष्पादन पर, घावेदक को इसमें भागे ययाउपवंधित चार बर्फ की समाध्ति तक ब्याज का संदाय करे; और
 - (ii) इस प्रकार गुभे, खोरी, मध्ट, विकृत या विरूपित हुए बंधपल के स्थान पर भावेबक को उक्त सुची के प्रकाशन की तारीख के चार वर्ष पण्चात दूसरी प्रति जारी करे परन्तु यह तब जब कि
 - (i) यदि वह तारीख जिसको बंधपन प्रतिसंवाय के लिए मोध्य है, उस तारीख से पहले पड़ती है जिसको चार वर्ष की उक्त प्रविध समाप्त होती है तो विहित प्रधिकारी, पूर्वतर तारीख के छह सप्ताह के भीतर बंधप पर देय मूल रक्षम को उक्त स्वत बैंक में सपवा यि सांदेदक ऐसा चाहता है सो राष्ट्रीय साव स बैंक द्वारा जारी किए गए बंधपन्नों में जो उस तारीख से जिसको दूसरी प्रति दी जानी है, पहले परिपक्त नहीं रहे हों, विनिहित करेगा और इस रक्षम का और उसके साथ उस पर प्रोदमूत उस व्याज का जो ऐसे बैंक में या ऐसे बंधपतों में जिनमें विनिधान किया गया है, संवाय धाबेदक को ऐसे समय पर करेगा जब धन्यवा बंधपत्र की दूसरी जारी कर दी गई होती; अरैर
 - (ii) यदि बंबपल की दूसरी प्रति के पुरोधृत किए आने के पूर्व किसी समय मूल बंधपत का पता चल जाता है या घन्य कारणों से पुीबरण कार्यालय की ऐसा प्रतीत होता है कि बादेश विखंडित किया जाना चाहिए, तो मामला घागे विवार के लिए विहित मिलकारी को निर्वेशित किया जाएका और इस बीच घायेश पर सभी क रंग है निलंडित कर दी जाएंगी। इस उप विनियम के बादीन

पारित कोई धादेश उसमें निर्विष्ट चार वर्ष की अविधि की समाध्ति पर, धन्तिम हो जाएगा, जब सक कि उसे इस बीच विखंडित या अन्यया उपांतरित नहीं कर दिया जाता है।

(2) विहित प्रधिक पी, बंधपन की दूसरी प्रति जारी करने के पूर्व किसी समय, यवि वह पर्याप्त कारण पाता है तो, इस विनियम के प्रधीन उसके द्वारा किए गए किसी फादेश को परिवर्तित या रह कर सकेगा और यह निदेश भी वे सकेगा कि बंधपन की दूसरी प्रति जारी करने के पूर्व अंतराल का विस्तार कर वर्ष से प्रनिधक की ऐसी प्रविध तक किया जाएगा जैसा यह उचित समसे।

(3) धातिपूर्तियाः--

- (i) (क) जब उपिबिनियम (बा) (I) के प्रधीन मिष्प दित हो तब ब्याज की रकम की बुगनी होंगी, प्रयांत बंघपन पर प्रोदभूत हो गए सभी पूर्ववर्ती ब्याज की रकम का दुगना धन उस पर उस धवधि के दौर न जी बंधपन की दूसरी प्रति पुरोधृत की जा सकने के पूर्व व्यक्षीत करनी होगी, शोब्य होने वाले सभी ब्याज की रकम का दुगना; और
- (आ) सभी भन्य मामलों में, बंधपत्र के अंकित मूल्य की दुगनी धन सांव (क) के अनुसार संगणित स्थाल की रकम ी दुगनी होंगी।
- (ii) विहित प्रधिकारी यह निवेण करसकेगा कि ऐसी झितिपूर्ति धकेले प्रवेवक द्वारा या प्रवेवक और उसके द्वारा प्रनुमोदित एक या दो प्रतिभूतों द्वारा, जैसः वह उचित समझे, निष्पादित की जाएगी।
- 12. स्टाक प्रमाणपता के रूप में बंघपल के गुम हो जाने, आदि के समय प्रक्रिया:
 - (1) किसी स्टाक प्रमाणपत्न के जिसके पूर्णतः या मागतः, गुम, चोरी, निष्ट, विकृत या विकापत हो जाने का मिमकचन है, के स्थान पर दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक प्रावेदन पुरोधरण कार्यालय को भेजा जाएगा भीर उसके साथ निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा:
 - (क) यदि वह पत्न जिसमें स्टाक प्रमाणपत्न है, रिजस्ट्री डाक से भेजने में गुम हो गया है तो, उसकी डाकघर रिजस्ट्री रसीय;
 - (का) यदि पुलिस को ग्रुम हो जाने या चौरी की रिपोर्ट की गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की प्रति;
 - (ग) मजिस्ट्रेट के समक्ष | यह साक्ष्य देते हुए कि प्रावेदक स्टाक प्रमाणपत्र का विधिक धारक है भीर यह कि स्टाक प्रमाणपत्र न तो उसके कब्छे में है भीर न ही उसके द्वारा मंतरिम, गिरशी या भ्रष्यचा ब्यौरा किया गया है, सिया गया नप्रथपत्र; भीर
 - (म) कीई ऐसे भाग या बाँड जो पुमे, चारा, मध्द, ावकृत जा विक्शित हुए स्टाक प्रमाणपन्न के सवशेष हो।
 - (2) द्मावेषन में उन परिस्थितियों का कथन किया जाएका जिनकी वजह से हानि हुई है।
 - (७) विदि विहित मधिकारी का स्टाक प्रमाणपद्म की हानि, चोरी, विनाल विकृति या विकपण के संबंध में समाधान ही जाता है ती वह मूल प्रमाणपत के बदले में स्टाक प्रमाणपत्न की बूसरी प्रक्रिकारी करने का निवेश करेगा।

13. सूची का बकासनः

- (1) विनियमन 11 में निर्दिष्ट सूची भारत के राजपन में जनवरी न्नीर जुलाई मास में या उसके पत्थात् यवासीझ, जैला सुविधा-जनक हो, मर्झ वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाएती।
- (2) सभी बंधपत्र जिनकी बाबत बिनियम 11 के प्रधीन कोई प्रावेश पारित किया गया है, ऐसे प्रावेश के पारित किए आगे के ठीक पश्चात् प्रशीकत पहली सूची में सम्मिलिस किए आएंसे और उसके पश्चात् ऐसे बंधपत्र प्रत्येक अगुवर्ती सूची में तब तक सम्मिलित किए जाने के लिए बने रहेंगे जब तक कि प्रथम प्रशासन की तारी वा से थार वर्ष समाप्त नहीं हो जाते हैं।
- (3) सूची में, उसमें सम्मिलित किए गए प्रत्येक बंधपत के बारे में निम्निलिखित विशिष्टियां, होंगी, घर्षात्, पुरोघरण का नाम, बंधपल का संख्यांक, उसका मूल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसकी नंधपत पुरोधून किया गया है, वह तारीज जिससे उसमें भ्याज मिलता है, बूसरी प्रति के लिए घाषेषक का नाम, व्याज के संवाय और दूसरी प्रति विए जाने के लिए विहित घिषकारी द्वारा भारत किए गए घाषेष का संख्याक और तारीज, और उस सूची के जिसमें बंधपत पहली बार सम्मिलित किया गया था, प्रकाशन की तारीज।
- 14. दूसरी प्रति णारी कपने की प्रपेक्षा करने वाले अंधपन्न के रूप में किसी विकृत अंधपन्न का प्रथ्यारण:

बिह्नि अधिकारी को यह विकल्प होगा कि वह किसी बंधपन्न को जिसे विकृत या विकपित किया गया है, ऐसे बंधपन्न के रूप में माने जी विनियम 11 के अधीन दूसरी प्रति के प्ररोधरण या विनियम 17 के बाधीन माल जबीकरण की अपेका करसा है।

- 15. बचनपत के रूप में किसी बंधपत को नवीक्कत किए जाने की आवश्यकता कब हो सकती है:
- (1) वभनपत्र के रूप में बंधपत्र के किसी धारक से पुरोघरण कायीलय द्वारा यह धपेका की जा सकेती कि वह उसे निम्नलिखित वक्षाओं में से किसी वक्षा में नजीकरण के लिए प्राप्त कर जे, धार्यात्:
 - (क) यदि बंधपत्र के पीछे भागपर एक और पृथ्ठांकन के लिए यापर्याप्त जगह है प्रथम यदि बंधपत्र पर विद्यमान पृथ्ठांकन पृथ्यांकनों से प्राग्ने कोई सब्ब लिखा जाता है;
 - (क) बदि पुरोधरण कार्यालय की राय में बंधपत्र फ़टा है या किसी भी कप में मुकसानग्रस्त है या उस पर बहुत लिखा गया या ग्रमुपपुक्त है;
 - (ग) यदि बंधपल्ल के पुष्ठ भाग पर पुष्ठांकन स्पष्ट बीर ं सुश्विक्ष नहीं हैं या उससे यथास्थिति पाने वाले का नाम या पाने वालों के नामों का पता नहीं चलता है या पृष्ठांकन के किसी बंद कोष्ठक से भिन्न स्थान पर पृष्ठांकन किया जाता है;
 - (व) यवि श्रंथपल पर व्याज वस वर्ष या उससे घिषक समय से घनाह रिन पड़ा हुवा है;
 - (क) यदि बंधनक के पृष्ठ भाग पर श्वाज के बंध कोच्छक पूरी तरह सर चुके हैं वा यदि बंधपक के पृष्ठ भाग पर खाली मुद्रित बंद कोच्छक उन झर्ब वर्षों के जिनके लिए श्वाज उस तारीख की देव हो गया है जब बंधपक श्वाज मिकालने के लिए प्रस्तुत क्रिया जाता है, संगुक्य महीं है;
 - च) यदि बंधपत व्याज के संदाय के लिए तीन बार मुखांकित किए जाने पर पुनर्युखांकन के लिए प्रस्तुत किया जाता है; और
 - मांच पुरीखरण कार्यसिय की राय थें, क्याच्य के संवाय के जिए संस्तरक प्रस्तुत करने कार्य व्यक्ति मा हक प्रक्रियमिक है का पूरी तथह सार्वित नहीं कुमा हैं।

- (2) जब बंधपक्ष के सबीकरण की झध्यपेक्सा उपविनियम (i) के सबीन की गई है तब उस पर और ब्याज के संबाम से तब तक इंकार किया जाएगा जब तक वह नवीकरण के लिए प्राप्त नहीं हों जाता है बास्तव में सबीकृत नहीं कर विमा जाता है।
- 16. वह व्यक्ति जिसके किसी मृत एकमात्र वारक के बंधपत्र पर हक को मान्यता दी जा सकेसी:
- (1) किसी बंधपन्न के किसी मृत एकमान धारक के (चाहे बहु मुसलमान, पारमी ही या घन्य हो) निष्पादक या प्रवासिक मा किसी बंधपन्न की बाबत भारतीय उत्तराधिकार धाधिनयम, 1926 (1925 का प्राधिनयम सं. 39) के भाग 10 के धाधीन जारी किए गए किसी उत्तरा-धिकार प्रमाणपन्न के धारक केवल वही ब्यक्ति होंगे जिन्हें पुरोधरण कार्यीलय द्वारा (विहिन धाधिकारी के किन्हीं साधारण या किशेष धनुदेशों के धान रहते हुए) बंधपन्न पर हक होने के संबंध में मान्यता प्राप्त की जा सकेती।
- (2) भारतीय संविध प्रधिनियम, 1872 (1872 का प्रधिनियम सं..(9) की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, यांव कोई संध्यत वी या प्रधिक धारकों को पुरोषूत, विकय किया जाता है मा संवैय हो जाता है तो उत्तरजीवी वह व्यक्ति होगा भीर अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यू ही जाने पर उसके निष्पादक, प्रवासक या ऐसा कीई व्यक्ति जो ऐसे संध्यत के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपन्न का धारक है, केवल वह व्यक्ति जिसे पुरोधरण कार्यालय द्वारा (विहित प्रधिकारी के किन्हीं साधारण या विशय अनुदेशों के प्रधीन रहते हुए) संध्यन पर हक होने के संबंध में मान्यता प्रवास की जा सकेती।
- (3) पुरोक्षरण कार्यालय ऐसे निष्यादकों या प्रशासकों को माध्यसा देने के लिए तब सक बाब्य नहीं होगा जब तक कि उन्होंने, यथास्थिति भारत में पुरोक्षरण कार्यालय के स्थान पर प्रक्रिकारिता रखने वाले किसी सक्षम व्यायालय का कार्यालय से प्रोवट या प्रशासन पल या प्रत्य निश्चिक प्रध्यावदेन प्राप्त न कर लिया हो:परन्तु ऐसी किसी भी दशा में जहां विहित प्रक्रिकारी के, अपने पूर्ण विवकानुसार उचित समझे, बिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह कित्रूर्ति या अन्यथा के संबंध में ऐसे निबंधकों पर प्रस्तुं वह उचित समझे, प्रोवेट, प्रशासन पत्र या अन्य विधिक अभ्यावेधन प्रस्तुत करने से प्राममुक्ति प्रदान करे।
 - 17. नवीकरण, धावि के लिए रसीद:
- (1) बिहित अधिकारी के फिन्हीं साध-रण या विशेष अमुदेशों के रहते हुए, पुरोधरण कार्यालय, अपने आवेश से, धारक के आवेशन पर,---
 - (क) उसके द्वारा जचनपछ या पत्नों के क्या में बंधपल या बंधपलों का परिवान करने पर और उसके वाले के स्वाय के संबंध में पुरोधरण कार्यालय का समाधान कर देने पर, बचनपल या पत्नों को नवीक्षत या उपविभाजित या समेकित कर सकेगाः परश्तु यह तब जब कि पल यथास्मित प्रकप 6, प्रक्ष 7 या प्रकप 8 में प्राप्त किया गया ही या किए गए हों; या
 - (का) क्लमपन या पत्नों को स्टाक प्रमाणपत्न या स्टाक प्रमाणपत्नों में संपरिवर्तित कर संकेगाः पर्नेतु यह तब जब कि पत्न या पत्नों को निम्नाशिखित रूप में पुष्ठांकित किया थया है:

"राब्द्रीय आवास मैंक की संवाय करे" या

(ग) स्टाक्ष प्रमाणपत्त या स्टाक प्रमाव्यकों का नवीकरण उप विधालन या समेकम कर संवेक्षा : पर्ण्यु यह तब जब कि स्टाक प्रमालकों की, व्याक्रियंत, प्रका के, 10 मा 11 में प्राच्य किया गथा है; या

- (क) स्टाक प्रमाणवक्त या स्टाक प्रभाणवक्तों की बच्चनवत्त या बचनवक्तों में संपरिवर्तित कर सकेमा:वर्ष्णु वह तक जबकि स्थान प्रमाण-पत्र या स्टाक प्रमाणविशें की प्ररूप 12 में प्राप्त किया गया है; या
- (क) एक श्रंबाला के बंधपन्नों की किसी अन्य श्रंबाला में संपरिवर्तित कर सकेगा। परन्तु यह तब जब कि,—
 - (i) अंतर शंबला सपरिवर्तन अनुज्ञेय हो, और
 - (ii) ऐसे संपरिवर्तन को शासिन करने वाली गर्तों का पालन किया जाता हो।
- (2) पुरोघरण कार्यालय, विहित प्रधिकारी के प्रावेशों के प्रधीन साबेयक से यह प्रपेक्षा कर सकेगा कि वह उपिविनयम (i) के प्रधीन किसी बंधपत्र के नवीकरण, उपिवभाषन या समेकन के लिए उसके द्वारा अनुमोदिन एक प्रतिभू का प्रधिक प्रतिभूषों के साथ रूप 13 में व्यक्तिपृति पत्र निष्पावित करे।
 - 19. हुस के बारे में बिदाद की दशा में बंधपक्ष का नवीकरण:

जह ऐसे किसी बंधपन्न के जिसकी बाबन नवीकरण के लिए प्रावेषन किया गया है, हक के बारे में कीई विवाद है वहां विदित प्रधिकारी,

- (क) जहां विवाद के किसी पक्षकार ने सक्षम प्रधिकारिता पाले किसी त्यायालय से श्रांतम जिनियचय प्राप्त कर लिया है जिसमें उसे ऐसे बंधपल का हकदार शोषित किया गया है, बहां ऐसे पक्षकार के पक्ष में नवीश्वन बंधपल जारी कर नकेंगा; या
- (ख)ं जब तक ऐसा विनिध्चय प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, बंघपक्ष का नवीकरण करने से इंकार कर सफेगा।

स्मब्टेकरण:

इस जिनियम के प्रयोजनों के लिए "शंतिम विनिष्णय" पर से ऐसा विनिष्णय सभिप्रेत है जो प्रपीलनिय है या ऐसाविनिष्णय सभिप्रेत है जो जपंग्लिमय है किन्तु जिसकि विक्या विधि द्वारा अनुमान परिसंग्मा अविधि के भीतर कोई सपील फाइल नहीं की गई है।

19. नवीकृत बंधपक्ष प्रादिकी बाबत दायित्व :

जब कितीं व्यक्ति के पक्ष में विनियम 11 के अवीन बंधपत्र की दूसरी प्रति पुरोधत की गई या विनियम 17 के अवीन एक प्रविद्यत वंधपत्र पुरोधत की गई या विनियम 17 के अवीन एक प्रविद्यत वंधपत्र पुरोधत किया गया है या उपविधालन या समेकन पर एक नया बंधपत्र पुरोधत किया गया है तब इसप्रकार पुरोधत बंधपत्र के बारे में यह समझा जाए कि राष्ट्रीय आवास बैंक और ऐसे व्यक्ति तथा उसके पश्चात् उसके माध्यम से हक प्राप्त करने बाले सभी व्यक्तियों के बीच एक नई संबिक्ता गठन हुआ है।

20. उन्मोबम:

राष्ट्रीय आवास बैंक को, परिपक्वता पर संदत्त बंधपत्न या बंधपत्नों की बाबत या जिनके बदले में बंधपत्न की दूसरी प्रति पुरोक्कस की गई है या नर्वक्रिय उपविभाजित या समेकिस बंधपत्न पुरोक्का किया गया है या किए गए हैं :---

(क्) संवाय की वक्षा में, उस शारी आप सै जिसकी संवाय वेष था, चार वर्ष की शा जाने के पण्यात्,

- (था) वंधपन्न की दूसरी प्रति की वसा में, ऐसी धूवी के बिसमें वंधरत की पहली बार वर्णन किया गया है, जिलियम 13 के अधीन ***
 प्रकाशन की लारीब से या मूल वंधपत्न पर व्याज संवाय की तारीब से, इनमें से जी भी लारीब पश्चास्त्री ही, चार वर्ष सीत जाने के पश्चाल
- (ग) नवीकृत बंधपक्ष था उपित्रनाजन या समेकन पर पुरोधृत किती। नए बंधपक्ष की दशा में, उसके पुरोधरण की तारीबा से भार वर्ष बीत जाने के पश्चात्,

समी दायित्वों से अमोचित कर दिया जाएगा।

21. ब्याज की बाबत उत्मोजन :

बंधपत के निबंधनों में प्रभिन्धक्त रूप से जैसा धन्यथा उपबंधित हैं उसके सिवाय, कोई व्यक्ति किसी ऐसी धन्नधि की बाबत इन पूर्वतम तारिखों के प्रकास जिसको ऐसे बंधपत पर देय रक्तम के संदाय के लिए मीग की जा सकती थी, बीत गई है, किसी ऐसे बंधात पर व्य संदाय करने का हकदार नहीं होगा।

22 किमी बैधपत्न का उन्मोजन :

- (क) जब जननत या स्टाक प्रमाणपत के रूप में धारित कोई बंधपल मूल धन संवाद के लिए शोध्य हो जाता है तथ बंधपत को राष्ट्रीय धावास बैंक के कार्यालय में जहां उस पर ब्याज संवेद है या पुरोधरण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके पीछे की तरफ धारक द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षर किए जाएंग,
- (का) जहां काते में प्रकिष्ट के रूप में कोई बंधपत्र मूल धन के संबंध के लिए लोडम हो जाता है बहु! धारक बादा प्ररूप 14 में सस्यकृतः हस्ताकारित एक रसीद पुरोधरण कामीलय की वी जाएगी।

धनु सूर्पाः

प्ररूप 1

[विनिशम 3(3) देखिए]

अंगरण कः प्रकृप

म्ह्रमि अंतरित स्टाक के धारक/धारकों के स्प में मधे/हमें @ रिजस्ट्राइत किए जाने पर उपर्युक्त स्टाक प्रमाणपत्र उन सीमा तक जिसना वह मसे/ हमें अंतरित किया गया है, मेरे/हमारे नाम पर नवीकृत किया जाए। संपरिवर्षित किया जा पा ।
**मै/हम@————————————————————————————————————
*र्कः उपस्थिति हस्ताक्षर् कि:]
मपर नामित अंतरक ने -*को अतरक
- T(N(N(N)
उपस्थिति में हम्लक्षर किए ।
9/17
कपर नामित्र अंतरिनी ने* क्रिक्टक्रिक्टक्रिक्ट
-उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।
(अंगरिनी)
(MINN)
@ जो विकल्प लागून हो उसे काट दें।
**इस पैरा का उपयोग सनी किया आए जब स्टाक प्रमाणभन्न काकोई एक भाग अंतरिक्ष होता है।
"सन्सर े हस्ताक्षर, उपभौविका और पना ।
प्र क प 2
[विनिधम 3 (4) (ग) देखिए)]
वसनपत्र हैं रूप में बंघपत का राष्ट्रीय धायाम बैंक के खाने की एक प्रथिष्ट में संगरिष्ठीन के लिए घळपेका । सारीख
सेव(में. प्रबंधक
वंधनत्र अनु नाम राष्ट्रीय अस्मासर्वेक, अस्थर्ध ।
प्रियं महोत्रयः, सर्वर्भः प्रसिद्धः अष्ट्रीय श्रादासः वैक
सदस मात्रता राष्ट्राय अत्तर स्ट्राय
हम यह घोषणा करते है कि:
सूर्वा इसमें पीछे दो गई, हमारा संपत्ति है हैं और यह प्रनृरोध करने हैं कि
हमें उमे। उन्हें राष्ट्रीय अवास बक द्वारा रखें जाने वाले खाते में एक

प्रिकिट के क्या में प्रवित्त ताम में धारित करने के लिए मनुवात किय जाए। इस प्रयोजन के लिए हम राष्ट्रीय प्राथास बैंक के पक्ष में सन्यकतः पृथ्ठीकिश सुसंगत, बंधपन्न स्किमें इसके साथ प्राध्यपित करते हैं। उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) जिसे/जिन्हें खाते के प्रयतेन के लिए प्राधिकृत किया गया है, नाम, प्रयाधिधान और मनूना हस्ताक्षर पीछे की तरफ विए गए विवरण के अनुसार हैं।

इस सर्वेध में, हम भाषके पक्ष में सभ्यकतः स्थापित भीर भाषके प्रारूप के घ्रातर हतारो स्रोर से सस्प्रका निष्पादित क्षतिपूर्ति विलेख इससे सलग्न कर रहे हैं।

प्रापसे धनुरोध है कि हुपया सम्यक् धनुकर्भी में राष्ट्रीय धालास बैक के खाते में एक प्रविद्धि के रूप में बंधपत्र धारण करने का प्रमाणपत्र भीर हमारी क्षांत का कालिक विवरण ऊपर दिए गए पते पर हमें भेज वैं।

इस बीच कृपया इसकी पावती भेज हैं।

भवतीय

पदन⊺म

(ii) क्षतिपूर्ति विलेखाः

न(म : 1 -----

प्रस्त्र ३

[जिनियम ३(४) (ङ) देखिए]

राष्ट्रीय श्रायास बैंक के खाते में प्रविध्टि के रूप मे धारित बंधपस्नी के बचने में बंधपत्र स्त्रियों के पुरोधरण के लिए ग्राध्यादेश।

सेवा में.

प्रयंधक वंप्रपत्ने श्रनुभाग, राष्ट्रीय प्रावास वैक मुम्बई ।

प्रिय महोदय,

मंदर्भ :		प्रतिशत	राष्ट्रीय	भ्रावास	बैक	बंधपस
	(- ·				_ 7	ग्रंखला)

हम राष्ट्रीय ब्रावास बैंक द्वारा रखे गए खाते में एक प्रविष्टि के ध्य में हमारे द्वारा धारित बंधपत्नों की बाबत राष्ट्रीय घावास बैक द्वारा पुरोधृत धृति प्रमाणपन्न इसके साथ अग्रेषित करते हैं।

हमारा प्रनृरोध है कि क्रुपया, इस संबंध में बंधपत की गोप रकम की बाबन जो राष्ट्रीय भावास दैक द्वारा रखे गए खाते में एक प्रविधि के रूप में धारित बनी हुई है, नए धृति प्रमाणपत्न के साथ हमारे बंधपत्न स्किए ऊपर दिए गए हमारे पने पर रजिस्ट्री डाक़ से हमें भेज दिए अ।एं।

इस बीच कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

रजिस्ट्रीकृत धारक (धारकों) या उसके सम्यक-प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर-----रजिस्द्रीकृत धारक (ों) का (के) न।म-------

क्रयेक्षित वचनपत्र का स्यौरा

1.	घृति प्रमाणपत्न सं	 ना)
2.	धृति प्रमाणपत्र मं क (
3.	धृति प्रगाणपंत्र सं तारीख	
	बंधपत्नों का सकल ग्रंकिन मृत्य	

इतमें से कुपया नीचे वर्णित संकित मृत्यों में वंधपन्न स्थिपों के पुरोधारण की ब्यवस्था करें:

श्रंकित मृत्य संख्या सकल श्रंकित मूल्य (1) 1,000 ম . মান্দ্রীক---(2) .10,000 क. अत्येक--------- ह. के सकल मृत्य की युल------ स्किप ।

हमारा बनुरोध है कि बंधपत्नों की शेष रकम राष्ट्रीय भावास बैक क्षारा रखे गये खाते में एक प्रविधिट के रूप में धारित रखी जाए।

प्रहर्प 4

[विनियम ३(४) (छ) देखिए]

राष्ट्रीय धावास बैक के खाते में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपन के प्रतरण का प्ररूप

हम,जी राष्ट्रीय श्रावास वैंक के खाते में	एक
प्रविध्यि के रूप में बंधपत्नों के धारक हैं	-को
श्रीर उसके पक्ष में	जो
हमारे बंधपत्न का संपूर्ण भाग/ग्रंश है ग्रीर उसके साथ उस पर प्रो	मृत
	न्रते
友:	

हम - ----- - उपर्युक्त अंध्रपन्न के अपने नाम पर श्रंतरण को निर्वाध रूप से स्वीकार करने है।

> श्राज तारीख़----**--**-को हमने इस पर हस्ताक्षर कर **वि**ए ऊप्र न्।िमत-----(विन्नेता) ने------की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

ऊपर नामित ----(फ्रेना) ने-----की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

टिप्पण --- जिस राज्य में यह निष्पादित किया जाता है, वहीं के स्थानीय स्टाम्प प्रविनियम द्वारा यथासंशोधित भार-तीय ≆टाम्प झिधनियम, 1899 की धारा 62(ग) के णच्यात्र स्टिम्पित किया जाए।

5

[विनियम 5(2) (ख) (iii) देखिए]

रटाक प्रमाणपत्र केक्स्प में पुरोधूत बंधपत्न के नवीकरण के निए रसीय का प्रहम

के पक्ष में	Œο
लिक्ज उक्तरीय ग्राधास बैंक बंधपर्स,	
का	
राष्ट्रीकृत धारक के (राजस्ट्रीकृत धारक का नाम)	<u>-</u> वे

प्ररूप 6

[विनियम (7)(1)(क) देखिए]

बचनपत्र के रूप में बंधपत्र के नवीकरण के लिए पृथ्टीकन

का प्ररूप

मा संदेय भवीकृत वचनपट
(धारक का न।म)
द्यौर व्याज जो राष्ट्रीय घाबास वैक, — ———हार संदेय है, इसके बदले में प्राप्त किया।
धारक केके सम्यकतः प्राधिकृत (धारक का नाम)
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रह्म 7

[विभियम 17(1)(क) धेखिए]	
बचनपत्र के रूप में बंधपत्र के उप-विभाजन के लिए पृष्ठीकन का प्ररूप	
(धारक का नाम)	
केवचनपत्र भीर ज्या को राष्ट्रीय ग्रामास	
कि,बारा संदेग है, इसके बदले में प्राप्त किया	
TTA R	
(धारक का नाम)	
सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि के हरनाक्षर	
प्ररूप 8	
[विनियम 17 (1) (क) देखिए]	
यचनपत्र केरुप में बंधपक्षों के समेकन के लिए पृष्ठीकन का प्ररूप	
(धारक का नाम)	
के यवनपन्न को जो बचनपन्न सं के	
पाथ समेकित (इसके साथ समेकिन किए जाने के लिए बांछित अध्य	
ान्न (पत्नों) का (के) संज्यांक भीर रकम (रकमें) उनके पुरोधरण को	
विनिर्विष्ट करने हुए, वर्णित करें।भीर ब्याज जो राष्ट्रीय भ्रावास बैक	
दारा संवैय है, इसके बबले में प्राप्त किया।	
पारक	
(धारक का नाम)	
मम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि	
के हस्ताधार- mare metalin man a mare mare mare many secures many secures and a many	_
·	
प्रह्म 9	
[विनियम (17)(1)(ग) देखिए]	
स्टाक प्रमाणपत्न के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप	
" प्रायाम वैक संघपत	
स्टाक प्रमाणपत्र जोक	
म में है भीर व्याप को राष्ट्रीय मानास वैक,क	
स न ६ आर अ.ग. आ राष्ट्रीय आवास बक्क द्वारा संदेय है, इसके बदले में प्राप्त किया।"	
क्षारा राज्य हु इसम चरन च त्रारा किया। रजिस्द्रीकृत घारक को के सम्प्रकतः	
(ংজিক্ট্রিক্তর খাবক কা নাম)	
प्राधिकृतः प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ।	
प्रस्य 10	
(विनिधम 12(1)(ग) देखिए)	
स्टाक प्रमाणपत्र के उप-विभाजन के लिए पृष्ठांकन का प्रहप उ	
The street of th	
के इस स्टाक प्रसाणपताके बदले में स्टाक प्रमाणपता	
प्रीर व्याज जो राष्ट्रीय भाषास वैक	
(स्थान) संदेय है, प्राप्त किया।	
र्राजस्ट्रीकृत धारक के	
	-
(रजिस्ट्रीकृत धारक का माम)	

के गः । सा प्रोत्रा प्रतिनिधि के हस्नाक्षर।

यस्य 11

[चिनियम 17(1)(ग) वेखिए]
स्टाक अभाणपद्य के समेकन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप
प्रितिगत, राष्ट्रीय मानास बैंक संघपत
के कमग्र:के बदले में
म्रायाम वैक अध्यक्ष,
कास्टाक प्रमाणपत्र श्रीर ध्यात्र त्रोरार्ष्ट्रीय श्रावास वैध
द्वारा संदेय है, प्राप्त किया।
रिशस्त्रीकृत क्षारक केक
(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाग)
सम्यक्तः प्राधिकृतः प्रतिनिधि के हस्ताक्षरः
प्र€प 12
[विनियम 17(1)(व) देखिए]
• • • • •
स्टाक प्रमाणपत्नों को बचनपत्नों में संपरिवर्तन के लिए पृष्ठांकन का प्रकृप इस स्टाक प्रमाणपत्न सं के बदले
में अन्याप्ति न के. प्रत्येक के बचनपत्न (उसके नाथ
रु. की श्रतिकोष रकम के लिए नया
स्टाक प्रसाणपस्त) ग्रीर व्याज, जो राष्ट्रीय भावास बैक,
द्वारा संदेय है, प्राप्त किया।
रिकस्ट्रीकृत धारक के
(रिजिस्ट्रीकृत घारक का नाम)
के सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
সহব 13
প্ৰবৰ 13 [त्रिनिधम 17(2) वैद्धिए]
[त्रिनिधम 17(2) देखिए]
[विनियम 17(2) वेखिए] इस वितेख द्वारा यह सबकोज्ञात हो किहम · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
[विनियम 17(2) देखिए] इस वितेख द्वारा यह सभको ज्ञात हो कि हम · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
[विनिधम 17(2) वेखिए] इस विलेख द्वारा यह सबका जात हो कि हम (भूल ऋणी
[विनियम 17(2) वेखिए] इस विलेख द्वारा यह सबकां ज्ञात हो कि हम (मूल ऋणी नाम)
[विनिधम 17(2) वेखिए] इस विलेख द्वारा यह सबका जात हो कि हम (भूल ऋणी
[विनियम 17(2) वेखिए] इस विलेख द्वारा यह सबकां ज्ञात हो कि हम (मूल ऋणी का नाम) पूज हैंका निवासी है तथा
[विनियम 17(2) वेखिए] इस विलेख द्वारा यह सबकां जात हो कि हम (मूल ऋणी का नाम) पूज हैं
[विनियम 17(2) वेखिए] इस विलेख द्वारा यह सबकां ज्ञात हो कि हम (भूल ऋणी ————————————————————————————————————
[विनियम 17(2) वेखिए] इ.स. विलेख द्वारा यह सबकां जात हो कि हम
[विनियम 17(2) वेखिए] इस विलेख द्वारा यह सबकां जात हो कि हम (मूल ऋणी का नतम) पूत्र हैं
[विनियम 17(2) वेखिए] इस वितेख द्वारा यह सबको जात हो कि हम
[विनियम 17(2) वेखिए] इस वितेख द्वारा यह सबकां जात हो कि हम (मूल ऋणी जो का नवासी है तथा (प्रतिभू मं. 1) पुत्र है और का निवासी है सथा (प्रतिभृत सं. 2) पुत्र है भौर का निवासी है, रूएह्राय भ्रावाम बैंक प्रधितियम 1987 के भ्रमीत सथास्थापित राष्ट्राय भ्रावाम बैंक प्रति जिसे हममें इसके पण्नात् "इस्त राष्ट्रीय भ्रावाम कैक" नहा गया है,
[विनियम 17(2) वेखिए] इस वितेख द्वारा यह सबको जात हो कि हम
[विनियम 17(2) वेखिए] इस विलेख द्वारा यह सबकां जात हो कि हम (मूल ऋणी का नाम) पूज हैं————————————————————————————————————
[विनियम 17(2) वेखिए] इस विलेख द्वारा यह सबको जात हो कि हम (मूल ऋणी का नाम) पूज हैं— का निवासी है तथा (प्रतिभू मं. 1) पूज हैं भीर- का निवासी हैं तथा (प्रतिभृत सं. 2) पूज हैं भीर- का निवासी हैं तथा (प्रतिभृत सं. 2) पूज हैं भीर- का निवासी हैं तथा प्रतिभृत सं. 2) पूज हैं भीर- का निवासी हैं तथा का प्रतिभृत सं. 2) पूज हैं भीर- का निवासी हैं, तथा- का निवासी है, त्रुव्हांस आवाम बैंक प्रवित जिसे इसमें इसके पण्चात् ''उन्त राष्ट्रीय मान म नैक'' कहा गया है,- हैं से प्रति जिसे इसमें इसके पण्चात् ''उन्त राष्ट्रीय मान म नैक'' कहा गया है,- हैं से प्रति का उन्त राष्ट्रीय मान बैंक, उसके भ्रष्टिनियों, उत्तराधिवः। ियों चीर समन्वेषितियों को संदाय करने के लिए इसके द्वारा स्वयं को भीर हम में से प्रत्येक भीर ध्रमने वारिमों, निष्यादकों, प्रणासकों शीर प्रति-
[विनियम 17(2) वेखिए] हम नितेख द्वारा यह सबकां जात हो कि हम (मूल ऋणी का नाम) पूत्र हैं पूत्र है पूत्र हो पूत्र है पूत्र हो पूत्य हो पूत्र हो
[विनियम 17(2) वेखिए] इस वितेख द्वारा यह सबको जात हो कि हम (मूल ऋणी का नवासी का निवासी है तथा (प्रतिभू मं. 1) पूत्र है भीर का निवासी है तथा (प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है तथा (प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है तथा (प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है तथा (प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है तथा का प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है तथा का प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है, तथा का प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है, तथा का स्वास वैक प्रति जिसे इसमें इसके पण्नात् "उन्त राष्ट्रीय मान सैक" कहा गया है, - ह को राष्ट्रीय प्रावास ब्रैक, उसके भ्रष्टिनियों, उत्तराध्वारियों भी स्वास करते के लिए इसके द्वारा स्वयं को भीर हम में से प्रत्येक भीर प्रपत्न वारिमों, निष्पादकों, प्रणासकों प्रीर प्रतिनिधियों में हर एक को संपृक्तकः शीर प्रजग-प्रत्या प्रावक्त करने हैं। प्रीर में/हम में से प्रत्येक उपत
[विनियम 17(2) वेखिए] इस विलेख द्वारा यह सबको जात हो कि हम
[विनियम 17(2) वेखिए] इस वितेख द्वारा यह सबको जात हो कि हम (मूल ऋणी का नवासी का निवासी है तथा (प्रतिभू मं. 1) पूत्र है भीर का निवासी है तथा (प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है तथा (प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है तथा (प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है तथा (प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है तथा का प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है तथा का प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है, तथा का प्रतिभृत सं. 2) पूत्र है भीर का निवासी है, तथा का स्वास वैक प्रति जिसे इसमें इसके पण्नात् "उन्त राष्ट्रीय मान सैक" कहा गया है, - ह को राष्ट्रीय प्रावास ब्रैक, उसके भ्रष्टिनियों, उत्तराध्वारियों भी स्वास करते के लिए इसके द्वारा स्वयं को भीर हम में से प्रत्येक भीर प्रपत्न वारिमों, निष्पादकों, प्रणासकों प्रीर प्रतिनिधियों में हर एक को संपृक्तकः शीर प्रजग-प्रत्या प्रावक्त करने हैं। प्रीर में/हम में से प्रत्येक उपत

[भाग 1].—खण्ड .3 (11)]	मार्ग
शर्त की विषय वस्तु से संसक्त कोई वाद मुम्बई उच्च स्थायालय के किसे प्रधीनस्थ श्यायालय में लाया जाता है तो उसे, उक्त राष्ट्रीय आलास बैंक भाग्रह पर, चाहे जो भी ऐसे वाद का पक्षकार हो, उक्त उच्च त्यायालय कारा मुम्बई में प्रपति प्रसाधारण मूल स्थितल प्रधिक।रिन। में ले जाय जा सकेगा और उनके द्वारा विचारित ग्रीर ग्रवधारित किया जा सकेगा	ह स ()
उमनने उपन राष्ट्री (मूल ऋणी का नाम)	
श्रावास क्षेत्र द्वारा पुरोधृत श्रीर इसकी श्रनुसूची में वर्णित बंधपत्ने के नवीकरण/समेकन/उपविभाजन के लिए, उक्त राष्ट्रीय श्रावास क्षे को श्रावेदन किया है ।	· ソ 邪
ग्रीर उक्त राष्ट्रीय ग्रावास वैक ने उक्त (मूल ऋणी का नाम (मूल ऋणी का नाम मीर दो भ्रच्छे भीर पर्याप्त प्रतिभूमों के, इसमें नीचे लिखित शनी	~) के
मार पा अव्य जार प्याप्त निष्पाधि मर्धान रहते हुए, उत्पर लिखिन बंधपत्र लिखने ग्रीर निष्पाधि करने पर सम्मति वी है श्रीर वह उक्त ग्रावेधन को स्वीकार करने व लिए सहमत हो गया है।	त
भीर उपर्युक्त धावड	
(प्रतिभू/प्रतिभूत्रों के नःम)	
उक्तके मनुरोध पर उक्त	
(मूल ऋणी का नाम) ————————————————————————————————————	नि
(মূল ऋणी का न।म)	
करने के लिए सहमत हो गया है/गए हैं। ऊपर लिखित बंधपल की श यह है कि यदि उपर्युक्त शाबद्ध	ार्ते
(मूल ऋणी का नत्म)	
ग्रीरया उनमें से प्र ^{त्} येक या उसके/उन (प्रतिभूया प्रतिभूभों का नाम)	
वारिस, निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि या कोई या उनमें से क इसके परजात समय-समय पर और सभी समय पर उक्त राष्ट्रीय प्राथाम के प्रायाग बैंक की इसकी अनुसूची में बणित उक्त राष्ट्रीय प्राथाम के द्वारा पुरोधून बंधपत्रों भीर उस्त बंधपत्र या उसके नवीकरण या करने वाले अ्वक्तियों के और उक्त बंधपत्र या उसके नवीकरण या व्याज के संदाम की बाबन अन्य अ्यक्तियों के, जो भी हों, दावों के भागों से या उसके विरुद्ध और ऐसे सभी नुकसानियों/हानियों, खा प्रभारों और अ्ययों से या उनके विरुद्ध जी उक्त धावास बैंक किसी वाबे या भंग के लिए या के परिणामस्वरूप या यथापूर्वोक्त नबी बंधपत्र (ों) के पुरोक्षरण या उक्त बंधपत्रों। या नवीकृत बंधपत्रों गांध्य हितों ब्यान के संशय के कारण उठाए, उपगत करे, पायी हो, उक्त राष्ट्रीय धावास बैंक को प्रभावों रूप से बचा रक्षा करेंगे, धपहानिरहित और क्षतिपूरित 'रखेंगे तो उपर्युक्त ब भूत्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील होगा उक्त निक्षा अपहानिरहित की नाम। की उपस्थित में भाज तारीख-	्य विकास उस प्रेमे इस इस इस्मे इस्मे
बंधपत का स्थएल मंख्याक पृरोधरण की रकम	- '
अञ्चल का स्थरम मध्याम । दुरावर वार्य	

मारीख

श्रीर वर्णन

प्ररूप 14

विनियम 22(स्व) देखिए]

राष्ट्रीय ग्रावास बीक के खाते में प्रकिष्टि के रूप में घारित बंधपत्री के लिए उपमीचन का प्रस्प

सेवः स,

प्रवंधक. वंधपन्न भ्रनुभाग, राष्ट्रीय छ।वास बैंक, मुम्बई ।

त्रिय महोदय,

संदर्भ :	प्रतिशत,	रार्ट्स य	'म्रावास	वंक
		(–शृंखला)

राष्ट्रीय भाषास बैंक की बहियों में-------------------------------

(बंघपन धारक) के जमा जाते में एक प्रविध्यि के रूप में धारित ------के ग्राभिहित ग्रंकित मृत्य के बंधित बंधपत्न(ों) पर परिपक्वता की तारीख को प्रोद्भूत व्याज सहित मूल रक्षम प्राप्त की। प्रभाणित किया जाता है कि बंधपन्न(ों) की ग्राभिहित रकम ग्रीर परिपक्यता को तारीख को प्राएभूत व्याज मेरी/हमारी वहियों के प्रमुक्ल है।

भवदीय.

रजिस्ट्रीकृत धारक (ों) के उसके सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर - -----तारीख: स्थान :

> [फ़ा. 7(12) 89-सी पी] के. एस. शास्त्री, श्रध्यक्ष, राष्ट्रीय म्र∤दास बैक

NATIONAL HOUSING BANK NOTIFICATION

New Delhi, 31st July 1980

(Incorporated under the National Housing Bank Act, 1987)

(53 of 1987)

NATIONAL HOUSING BANK (ISSUE AND MANAGEMENT OF BONDS) REGULATIONS 1989.

S.O. 600(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the National Housing Bank, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :--

1. Short title and application:

(1) These regulations may be called the NATIO NAL HOUSING BANK (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1989.

- (2) They shall apply to:
 - (a) bonds series No. 1 issued and sold by the National Housing Bank and such other series as may be issued by the National Housing Bank till coming into force of these regulations.
 - (b) the bonds issued and sold by the National Housing Bank from the date of coming into force of these regulations.

2. Definitions:

In these regulations unless there is anything repugnant in the subject or context:—

- (a) "The Act means the NATIONAL HOUS-ING DANK ACT, 1967 (33 OF 1967);
- "Bonds" means the bonds issued and sold by the National mousing bank under clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Act, whether before of after the contains into force of these regulations;
- (c) "Defaced Bond" means a bond which has been made megible and rendered undecipal parts and the material parts of a bond are those where:—
 - (i) the number, the issue to which it appertains and the face value or the bond, or payments of interest are recorded, or
 - (ii) the endorsement or the name of the payee is written, or
 - (iii) the renewal receipt or the memorandum of transfer is supplied;
- (d) "Form" means a form as set out in the schedule to these regulations;
- (e) "Lost Bond" means a bond which has actually been lost and shall not mean a bond which is in possession of some person adversely to the claimant;
- (f) "Mutilated Bond" means a bond which has been destroyed, torn or damaged in material parts thereof;
- (g) "Office of Issue" means the Office of the National Housing Bank on the books of which a bond is registered or may be registered;
- (h) "Prescribed Officer" means such officers of National Housing Bank as may be authorised by the Board of Directors of the National Housing Bank for purposes of regulations 11, 12, 13, 14, 16, 17 and 18.
- (i) "Stock Certificate" means a stock certificate issued under regulation 3.
- 3. Form of the Bond and the mode of transfer there-of etc.

- (1) A Bond may be issued by the National Housing Bank in the form of :--
 - (a) a promissory note payable to or to the order, of a certain person, or
 - (b) a stock certificate for stock registered in the books of the National Housing Bank.
- (2) (i) A Bond issued in the form of promissory note shall be transferable by endorsement and delivery like a promissory note payable to order.
- (ii) No writing on a Bond issued in the form of a promissory note shall be valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount denominated by the Bond.
- (3) A Bond issued in the form of stock cer ificate and registered in the books of the National Housing Bank shall transferable either wholly or in part by execution of an instrument of transfer in Form I. The transfer or in such a case shall be deemed to be the holder of the Bonds issued in the form of stock certificate to which the transfer relates until the name of the transferce is registered by the National Housing Bank.
- (4) (a) Notwithstanding anything to the contrary in sub-regulation (1) hereof contained the National Housing Bank may, at the request of the person entitled to the Bonds, issue Bonds in the form of an entry in an account to be maintained by the National Housing Bank in the name of the person entitled to the Bonds.
- (b) The Bonds may be so issued in the form of an entry in the books of accounts of the National Housing Bank either initially at the time of subscription to the Bonds or subsequently by conversion of the Bonds issued either in the form of a promissory note or stock certificate.
- (c) If a Bond has already been issued in the form of promissory note, the Bond holder desirous of holding it in the form of an entry in an account with the National Housing Bank shall make requisition in Form II and surrender the Bond duly endorsed in favour of the National Housing Bank for the Bond being held in the form of an entry in an account in the books of the National Housing Bank.
- (d) If the Bond has been issued in the form of stock certificate, the holder shall transfer the Bond in favour of the National Housing Bank with a request that the Bond may be held in the form of an entry in an account to be maintained by the National Housing Bank in the name of the holder.
- (e) A person holding Bonds in the form of an entry in an account maintained by the National Housing Bank may have the Bonds transferred or converted in the form of a promissory note or a stock certificate by making an application in Form III.
- (f) No fee is chargeable for issuing Bonds in the form of an entry in the account of the books of the National Housing Bank or converting Bonds already issued either in the form of a promissory note or stock certificate in the form of an entry in the books of the National Housing Bank or vice versa.

- (g) Bonds issued or held in the form of an entry in the books of the National Housing Bank shall be transferable by execution of an instrument of transfer in Form IV. The transferor in such cases shall be deemed to be the holder of the Bonds to which the transfer relates till such time the name of the transferce is entered in the books of the National Housing Bank.
- (5) (i) A Bond shall be issued over the signature of the Chairman of the National Housing Bank which may be printed, engraved or lithographed or impressed by such other mechanicial process as the National Housing Bank may direct.
- (ii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.
- (6) No endorsement of a Bond in the form of a promissory note or no instrument of transfer in the case of a Bond in the form of stock certificate shall be valid unless made by the signature of the holder or his duly, constituted attorney or representative inscribed in the case of a Bond in the form of a promissory note on the back of the Bond itself and in the case of a Stock Certificate on the instrument of transfer.

4. Trust not recognised:

- (i) The National Housing Bank shall not be bound or compelled to recognise in any way, even when having notice thereof, any trust or any right in respect of a bond other than an absolute right thereto in the holder.
- (ii) Without prejudice to the provisions of subregulation (i), the National Housing Bank may as an act of grace and without liability to the National Housing Bank record in its books such directions by the holder Bond issued in the form of stock certificate for the payment of interest on or of the maturity value of or the transfer of or such matters relating to the stock certificate as the National Housing Bank thinks fit.
- 5. Provisions for holding Bonds issued in the form of the stock certificate by trustees and office holders.
- (1) A Bond in the form of stock certificate may be held by a holder of an office—
 - (a) in his personal name, described in the books of the National Housing Bank and in the stock certificate, as a trustee, whether as a trustee, of the trust specified in his application or as a trustee without any such classification, or
 - (b) by the name of his office.
- (2) On an application made in writing to the National Housing Bank in the Form required by the national Housing Bank the person in whose

name a Bond stands and on surrender of the Bond the National Housing Bank may —

- (a) make an entry in its book describing him as a trustee of a specified trust or as a trust without specification of any trust and issue a stock certificate in his name described as trustee with or without the specification of the trust as the case may be, or
- (b) issue a stock certificate to him by the name of his office and make an entry in its books describing him as the holder of the stock by the name of his office, according to the applicant's request, provided
 - (i) the request is in conformity with the provisions of sub-regulation (1) hereof,
 - (ii) the necessary evidence required by the national Housing bank in terms of subregulation (7) has been furnised; and
 - (iii) the Bond if it is in the form of promissory note has been endorsed in favour of the National Housing Bank and if in the form of stock certificate has been recepited by the registered holder in Form V.
- (3) The stock certificate under sub-regulation (1) may be held by the holder of the office either alone or jointly with another person or persons or with a person or persons holding an office.
- (4) When the stock is held by a person in the name of his office, any documents relating to the stock certificate concerned may be executed by the person for the time being holding the office by the name in which the stock certificate is held as if his personal name were so stated.
- (5) Where any transfer-deed, power of attorney or other document purporting to be executed by a stock certificate holder described in the books of the National Housing Bank as a trustee or as a holder of an office is produced to the National Housing Bank, the National Housing Bank shall not be concerned to inquire whether the stock certificate holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to give any such power or to execute such deed or other document, and may act on the transfer-deed, power of attorncy or document in the same manner as though the executant is stock certificate holder is or is not described in the transfer-deed, power of attorney or document as a trustee or as a holder of an office and whether he does or does not purport to execute the transfer deed, power of attorney or document in his capacity as a trustee or as a holder of the office.
- (6) Nothing in these regulations shall, as between any trustee or office holders, or as between any trustee or office holders, and the beneficiaries, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees or office holders to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust, the terms of the instrument constituting the trust, or the rules governing the association of which the stock certificate holder is a holder of an office and neither the National Housing Bank nor any person holding

or acquiring any interest in any stock certificate shall by reason only of any entry in any register maintained by the National Housing Bank nor any person holding or acquiring any interest in any stock certificate shall by reason only of any entry in any register maintained by the National Housing. Bank in relation to any stock certificate or any stock certificate holder or of anything in any document relating to stock certificate be affected with notice of any trust or of the fiduciary character of any stock certificate holder or of any fiduciary obligation attaching to the holding of any stock certificate.

- (7) Before acting on any application made, or on any document purporting to be executed, in pursuance of this regulation by a person as being the holder of any office, the National Housing Bank may require the production of evidence that such person is the holder for the time being of that office.
- 6. Provision for holding of bonds issued in the form of promissory notes by trustor trustee(s).
- (1) Without prejudice to the provisions of subregulation (i) of regulation 4, the National Housing Bank may, at the request of the applicant and without liability to the National Housing Bank issue a Bond in the form of promissory note in the name of a specified trust or trustee(s) of that trust, or, as the case may be, in the personal name of the applicant, describing him as a trustee, whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without such specifications.
- (2) Where a Bond in the form of promissory note stands in the personal name of the holders, the National Housing Bank may, on an application made by him in the Form required by the National Housing Bank and on surrender of such Bond, issue a renewed Bond in the form of a promissory note in the manner laid down in sub-regulation (1) hereof:

Provided that,-

- (i) the necessary evidence required by the National Housing Bank in terms of subregulation (6) hereof has been furnised; and
- (ii) the Bond has been endorsed in favour of the National Housing Bank.
- (3) The Bond under sub-regulation (1) hereof may be held by a trustee of any trust either alone or jointly with another person or persons as trustees of that trust.
- (4) Where a Bond in the form of promissory note purports to have been endorsed by the Bond holder as a trustee, or where any power of attorney or other document purporting to be executed by the Bond holder is produced to the National Housing Bank, the National Housing Bank shall not be concerned to enquire whether the Bond holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to make such endorsement or execute—such power of attorney or other document, and may act on endorsement, power of attorney or document, in the—same manner as though such endorser is a Bond holder and whether

- the Bond holder is or is not described in the endorsement, power of attorney or document as a trustee, and whether he does or does not purport to make endorsement or execute the power of attorney or document in his capacity as a trustee.
- (5) Nothing in these regulations shall, as between any trustees and the beneficiaries, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust or the terms of the instrument constituting the trust.
 - (6) Before acting on any application made, in pursuance of this regulation, by a person as being the trustees of any trust, the National Housing Bank may require the production of evidence that such person is the trustee for the time being of that trust.
 - 7. Persons disqualified to be holders:

No minor and no person who has been found by a competent court to be of unsound mind shall be entitled to be a holder of Bonds.

8. Payment of Interest:

- (1) Interest on a bond in the form of a promissory note shall be paid by the office of issue or any other office of the National Housing Bank specified in the bond prospectus subject to compliance by the holder of the bond with such formalities as the National Housing Bank may require, and on presentation of the bond.
- (2) Interest on a bond in the form of stock cartificate shall be paid by warrants issued by the National Housing Bank and payable at the local office of the National Housing Bank or the Reserve Bank or the scheduled bank. The presentation of the stock certificate shall not be required at the time of payment of interest but the payee shall acknowledge receipt at the back of the warrant.
- (3) Interest on a Bond held in the form of an entry in the books of the National Housing Bank shall be paid by the National Housing Bank by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be agreed to by the National Housing Bank.
- 9. Procedure where bond in the form of a promissory note is lost etc.
 - (1) Every application for the issue of a duplicate bond in place of a bond which is alleged to have been lost, stolen, destroyed, multilated or defaced, either wholly or in part shal be addressed to the office of issue, and shall contain the following particularls, namely:
 - (a) Particulars of the bond according to the following form:

- (b) Last half-your for which interest has been paid;
- (c) The person to whom such interest was paid;
- (d) The person in whose name bond was issucd (if known);
- (e) The circumstances attending the loss, theft, destruction, mutilations or defacement; and
- (f) Whether the loss or theft was reported to the police.
- (2) Such application shall be accompanied by:
 - (a) where the bond was lost in course of transmission by registered post, the Post Office registration receipt for the letter containing the bond;
 - (b) a copy of the police report, if the loss or their was reported to the police;
 - (c) if the applicant is not the registered holder, an affidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant was the last legal holder of the bond and all documentary evidence necessary to trace back the title to the registered holder; and
 - (d) any portion or fragments which may remain of the lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced bond.
- (3) A copy of the application shall also be sent to the office of the National Housing Bank where interest is payable if such interest is not payable by the office of issue, provided that it shall not be necessary to send copies of enclosures accompanying the application.

10. Notification in Gazette:

The loss, theft, destruction, mutilation or defacement of a bond or portion of a bond in the form of a promissory note shall forthwith be notified by the applicant in three successive issues of the Gazette of India and of the local Gazette, if any, of the place where the loss, theft, destruction, mutilation or defacement occurred. Such notification shall be in the following form or as nearly in such form as circumstances permit:—

"Lost", ("stolen, "Destroyed", "mutilated' or "defaced" as the case may be).

Payour of the properietor. The public are cautioned against purchasing or otherwise dealing with the above-mentioned bond.

Name of person notifying. Residence.

- 11. Issue of duplicate bond and taking of indemhity:—
 - (1) After the publication of the last notification prescribed in regulation 10, the prescribed officer shall, if he is informed of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the bond and of the justice of the claim of the applicant, cause the particulars of the bond to be included in a list published under regulation 13 and shall order the office of issue:—-
 - (a) If only a portion of the bond has been lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, and and if a portion thereof sufficient for its identification has been produced, to pay interest and to issue to the applicant, on execution of an indemnity bond such as is hereinafter mentioned a dupiclate bond in place of that of which a portion has been so lost, stelen, destroyed, mutilated or defaced either immediately after the publication of the list under regulation 13 or on the expiry of such period as the prescribed officer may consider necessary from the date of the publication of the said list;
 - (b) if no portion of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, sufficient for its identification has been produced:—
 - (I) to pay to the applicant, two years after the publication of the said list, and on the execution of an indemnity bond in the manner hereinafter prescribed, the interest in respect of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced till the expiry of the period of four years as next hereinafter provided; and
 - (ii) to issue to the applicant a duplicate bond in place of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated, or defaced four years after—the date of publication of the said list; provided that;
 - (i) if the date on which the bond is due for repayment falls either than the date on which the said period of four years expires, the prescribed officer shall, within six weeks of the former date, invest the princinal amount due on the bond in the Post Office Savings Bank, or if the applicant so desires, in current Bonds issued by the National Housing Bank maturing not earlier than the date on which the duplicare is due for issue and shall repay this amount, together with any interest which may have accrued thereon in such Bank, or in such Bonds in which the investment is made, to the applicant at the time when a duplicate bond would otherwise have been issued, and

- (ii) if any time before the issue of the duplicate bond the original bond is discovered or it appears to the office of issue for for other reasons that the order should be rescinded, the matter shall be referred to the prescribed officer for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended. An order passed under this sub-regulation shall on expiry of the period of four years referred to therein, become final unless it is in the meantime rescinded or otherwise modified.
- (2) The prescribed officer may, at any time prior to the issue of a duplicate bond, if he finds sufficient reasons, after or cancel any order made by him under this regulation and may also direct that the interval before the issue of a duplicate bond shall be extended by such period not exceeding four years as he may think fit.
- (3) Indemnities :---
- (i) (a) when executed under sub-regulation (1)(b)(1) shall be for twice the amount of interest involved, that is to say, twice the amount of all back interest accruced due on the bond plus twice the amount of all interest to accrue due thereon during the period which will have to clapse before the issue of a duplicate bond can be made, and
 - (b) in all other cases shall be for twice the face value of the bond plus twice the amount of interest calculated in accordance with clause (a).

The prescribed officer may direct that such indemnity bond shall be executed by the applicant alone or by the applicant and one or two sureties approved by him as he may think fit.

- 12. Procedure when a bond in form of a Stock Certificate is lost etc.
 - (1) Every application for the issue of a duplicate stock certificate, in place of a stock certificate which is alleged to have been lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced either wholly or in part shall be addressed to the office of issue and shall be accompanied by :—
 - (a) the Post Office registration receipt of the letter containing the stock certificate if the same was lost in transmission by registered post;
 - (b) a copy of the police report, if the less or theft was reported to the police;
 - (c) an affidavit sworn before a Magistrate testifying that the applicant is the legal holder of the stock certificate and the stock certificate is neither in his possession nor has it been transferred, pledged or otherwise dealt with by him; and

- (d) any portions or fragments which may remain of the lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced stock certificate.
- (2) The circumstances attending the loss shall be stated in the application.
- (3) The prescribed officer shall, if he is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the stock certificate, direct the issue of a duplicate stock certificate in lieu of the original certificate.

13. Publication of list:

- (1) The list referred to in regulation 11 shall be published half-yearly in the Gazette of India in the months of January and July or as soon afterwards as may be convenient.
- (2) All bonds in respect of which an order has been passed under regulation 11 shall be included in the first list published next after the passing of such order and thereafter such bonds shall continue to be included in every succeeding list until the expiration of four years from the date of first publication.
- (3) The list shall costain the following particulars tegarding each bond included therein, namely, the name of the issue, the number of the bond, it; value, the name of the person to whom it was issued, the date from which it bears interest, the name of the applicant for a duplicate, the number and date of the order passed by the prescribed officer for payment of interest or issue of a duplicate, and the date of publication of the list in which the bond was first included.
- 14. Determination of a mutilated bond as a bond requiring issue of duplicate:

It shall be a the option of the prescribed officer to treat a bond which has been mutilated or defaced as a bond requiring issue of a duplicate under regulation 11 or a mere renewal under regulation 17.

- 15. When a bond in the form of a promissory note may be required to be renewed:—
- (1) A holder of a bond in the form of a promissory note may be required by the office of issue to receipt the same for renewal in any of the following cases, namely:—
 - (a) if only sufficient room remains on the back of the bond for one further endorsement or if any word is written upon the bond across the existing endorsement or endorsements;
 - (b) if the bond is torn or in any way damaged or crowded with writing or unfit, in the opinion of the office of issue;
 - (e) if any endorsement is not clear and distinct or does not indicate the payee or payees, as the case may be, by name or is made otherwise than in one of the endorsement cases on the back of the bond;

- (d) if the interest on the bond has remained undrawn for ten years or more;
- (e) if the interest cages on the reverse of the bond have been completely filled or if the vacant printed cages on the reverse of bond do not correspond with the half years for which interest has become due on the date when the bond is presented for drawal of interest;
- (f) if the bond having been enfaced three times for payment of interest is presented for reenfacement, and
- (g) if in the opinion of the office of issue, the title of the person presenting the bond for payment of interest is irregular or not fully proved.
- (2) When requisition for renewal of a bond has been made under sub-regulation (1) payment of any further interest thereon shall be refused until it is receipted for renewal and actually renewed.
- 16. Person whose title to a bond of a deceased sole holder may be recognised:—
 - (1) The executors or administrators of a deceased sole holder of a bond (whether a Hindu, Mohammedan, Parsi or otherwise) and the holder of a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) in respect of the bond shall be the only persons who may be recognised by the office of issue (subject to any general or special instructions of the prescribed officer) as having any title to the bond.
 - (2) Notwithstanding anything contained in Section 45 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), in the case of a bond issued, sold or held payable to two or more holders, the survivors or survivor and on the death of the last survivor, his executors, administrators, or any person who is the holder of a succession certificate in respect of such bond shall be the only person who may be recognised by the office of issue (subject to any general or special instructions of the prescribed officer) as having any title to the bond.
 - (3) The office of the issue shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of Administration or other legal representation as the case may be from a competent court or office in India, having effect at the place of situation of the office of issue. Provided nevertheless that in any case where the prescribed officer shall in his absolute discretion think fit, it shall be lawful for him to dispense with the production of probate, letters of administration or other legal representation upon such terms as to indemnity or otherwise as he may think fit.

- 17. Receipt for renewal etc. :
 - Subject to any general or special instructions of the prescribed officer, the office of issue may, by its order, on the application of the holder:—
 - (a) on his delivering the bond or bonds in the form of promissory note or notes and on his satisfying the office of issue regarding the justice of his claim, renew, subdivide or consolidate the note or notes provided the note or notes has or have been receipted in Form VI, VII or VIII as the case may be, or
 - (b) convert the promissory note or promissory notes into a stock certificate or stock certificates provided the promissory note or promissory notes has or have been endorsed as follows:—
 - "Pay to the National Housing Bank", or
 - (c) renew, sub-divide or consolidate a stock certificate or stock certificates provided the stock certificate or stock certificates has or have been receipted in Form 1X, X or XI as the case may be, or
 - (d) convert the stock certificate or stock certificates into promissory note or promissory notes provided the stock certificate or stock certificates has or have been receipted in Form XII, or
 - (e) convert the bonds of one series into those or another provided :—
 - (i) inter series conversion is permissible, and
 - (ii) the conditions governing such conversion are complied with.
 - (2) The office of issue may, under the orders of prescribed officer, require the applicant for renewal, sub-division or consolidation of a bond under the sub-regulation (1) execute in idemnity in Form XIII with one or more sureties approved by him.
- 18. Renewal of bond in case of dispute as to title:

Where there is a dispute as to the title to a bond in respect of which an application for renewal has been made, the prescribed officer may:—

- (a) where any party to the dispute has obtained a final decision from a court of competent jurisdiction declaring him to be entitled to such bond, issue a renewed bond in favour of such party, or
- (b) refuse to renew the band until such a decision lies been obtained.

Explanation

For the purpose of this regulation, the expression final decision means a decision which is not appealable or a decision which is appealable but against which no appeal has been filed within the period of limitation allowed by law.

19. Liability in respect of bond renewed etc.

When a duplicate bond has been issued under regulation 11 or a renewed bond has been issued or a new bond has been issued upon sub-division or consolidation under regulation 17, in favour of a person, the bond so issued shall be deemed to constitute a new contract between the National Housing Bank and such person and all persons deriving title thereafter through him.

20. Discharge:

The National Housing Bank shall be discharged from all liability in respect of the bond or bonds paid on maturity or in place of which a duplicate, renewed, sub-divided or consolidated bond or bonds has or have been issued:—

- (a) in the case of payment, after the lapse of four years from the date on which payment was due,
- (b) in the case of a duplicate bond after the lapse of four years from the date of the publication under regulation 13 of the list in which the bond is first mentioned, or from the date of payment of interest on the original bond, whichever date is later:
- (c) in the case of a renewed bond or of a new bond issued upon sub-division or consolidation after the lapse of four years from the date of issue thereof.

21. Discharge in respect of interest:

Save as otherwise expressly provided in the terms of the bond, no person shall be entitled to claim interest on any such bond in respect of any period which has elapsed after the earliest date on which demand could have been made for the payment of the amount due on such bond,

22. Discharge of a Bond:

(a) When a Bond held in the form of promissory note or Stock Certificate becomes due for payment of principal, it shall be presented at the office of the National Housing Bank at which interest thereon is payable or at the office of issue duly signed by the holder on its reverse;

(b) When a Bond in the form of an entry in the account becomes due for payment of principal, a duly signed receipt in Form XIV shall be furnished by the holder to the Office of Issue.

THE SCHEDULE

FORM I

[See Regulation 3(3)]

FORM OF TRANSFER

ransfer my/our interest or share in per cent.	n the inscribed stock of the National Housing Bank
Bonds ofamound a portion of theas specified on the f. ther with the accrued interest the	stock certificate for Rs
administrators or assigns, and I/N do freely accept the above stock c extent it has been transferred to	Ne ertificate transferred to the
I/We@	the holder(s) of the stock me/us, the aforestic stock scentransferred to me/us@ me(s) converted in my/our
**I/We@	registered as the holder(s)@ nsferred (c him/them @; the stent it has not been trans-
As witness our hand the ofOne	day thousand nine hunded and
Signed by the above-named transferor in the presence of*	ansferor)
Ad	dress
Signed by the above named	
	ransferce)
@Omit the alternative which o	loes not apply.

^{**}This paragraph to be used only when a portion of a stock certificate is transferred.

^{*}Signature, occupation and address of Witness.

[थाग II—खण्ड 3 (ii)] भ	ारत क
FORM II	
[see Regulation 3(4)(c)]	
Requisition for conversion of Bond in the form of Promisson Note into an entry in the account with the National House Bank.	
Date19	
To:	
Manager, Bonds Section, National Housing Bank, Bombay. Dear Sir,	
Re:%National Housing Bank Bonds(Series)	
We hereby declare that the National Housing Bank Bon issued in the form of Promissory Note(s) of the aggregatace value of Rs	re to be ch nd ng
In this connection, we are enclosing hereto deed of indemnity in your favour, duly stamped and executed cour behalf as per your draft.	
Werequestyou to kindly send to us in due course certicate of holding of bonds in form of an account with 1 National Housing Bank, and periodic statement of or holding at the address given above.	he
In the meanwhile please acknowledge receipt.	
wowe frist C II	

yours faithfully,

Signature(s) of the registered holder(s)/ his duly authorised representative

Name(s) of registered holder(s)

LIST OF BOND SCRIPS ENCLOSED HERETO

omissory Note(s) in denomination(s) a	s stated below
1. Bond Scrip No	
or Rs(Series).
2. Bond Scrip Nodat Rs(
3. Bond Scrip No dated	
Aggregate face value of the Bond Scrips Spicimen Signature(s) Join'ly/Either or Supervivor.	

Name:	1	
	Address:	
Telepho Enclosed		of R s
	(ii) Deed of Indemnity.	
	(ii) Deed of Meening.	
	FORM III	
	[See Regulation $3(4)(\epsilon)$] nor issue of Bond Scrips in lieu of the In of entry in the acount with the Nation	
Manager,		
Bonds Sec National I	ction, Housing Bank,	
Bombay	,	
Dear Sir, Re:	%National Housing Bark Bond	
•••	,,,,	Series)
by the Nat by us in th the Nation We request	warding herewith the certificate of holional Housing Bank in respect of the B e form of an entry in the account mainal Housing Bank. that our Bond holdings may please be	onds held intained by
and transfe	erred in the form of promissory note on the reverse.	(s), as per
forwarded alongwith t balance an held in the	est that Bond Scrips in this regard ma to us by registered post at our add!ess g the fresh certificate of holding in resp nount of the Bonds that are contin form of an entry in the account ma hal Housing Bank.	given above ect of the ued to be
In the n	neanwhile please acknowledge receipt	
	Yours fa	ithfully,
	Signature(s) of the Registered holder(s) or his duly authorised representative.	
	Name (s) of the Registered holder(s)	•• ••••••
	Details of promissory notes requir	€ď
!ated	cate of Holding No	
2. Certifi	cate of Holding No	
	icate of Holding No	

Aggregate face value of Bonds Rsof which, please arrange to issue Bonds Scrips in denominations	with interest payable by the National Housing Bank,	
as stated below:	Signature of the holler/culy authorised representative of	
Denominations Number Aggregate face value		
(1) $R_{\rm S}$. 1,000 each \times = $R_{\rm S}$.	(Name of holder).	
(2) Rs. 10,000 each \times = Rs.		
TotalScrips of the aggregate Face Value of	FORM VII	
Rs	[See Regulaion 17(1)(a)]	
We request that the balance amount of the Bonds may continue to be held in the form of an entry in the account	Form of endorsement of sub-division of a bond in the form of a promissory note	
maintained by the National Housing Bank.	Received in lieu hereofpromissory notes for Rs	
FORM IV	respectively payable to (name of holder)	
[See Regulation 3(4)(g)] Form of transfer of Bonds in the	payable by the National Housing Bank	
form of an entry in the account with the National Housing Bank	Signature of the holder/duly authoris d representative of (Name of the holder)	
We,as the holder/s of the Bonds in the form of an entry in an account with the National Housing		
Bank do hereby assign and transfer our holding to the extent	FORM VIII	
of Rsbeing the entire/porton of	[See Regulation 17(1)(a)]	
our Bond holding together with accrued interest thereon upto	Form of endorsement for consolication of bonds	
of	in the form of promissory notes	
We,do freely accept the transfer of the above Bonds to our name.	Received in lieu hereof a new promissory note payable to (name of holder)	
Witness our hand thisday	for Rs	
Signed by the above named	numbers and amounts of the other promissory notes desired to be consolidated with it and specifying the issue with interest payable by the National Housing Bank	
Signed by the above named(Buyer) in the presence of	Signature of the holder/duly authorised representative of	
Note: To be stamped in accordance with Article 62(c) of the Indian Stamp Act, 1899 (as amended by the local Stamp Act of the State in which it is executed).	(Name of the holder)	
FORM V	FORM IX	
[See Regulation 5(2)(b)(iii)]	[See Regulation 17(1)(c)]	
Form of receipt for renewal of a bond issued in the form of a stock certificate.	Form of endorsement for renewal of a stock certificate "Received in lieu hereof a renewed stock certificate of the	
Received in lieu hereof a renewed stock certificate of the per cent National Housing Bank Bonds, for Rs in favour of with interest	in the name of	
payable by the National Housing Bank,	Signature of the registered holder/duly authorised representative of (Name) of the registered holder)	
	FORM X	
(Name of the registered holder)		
FORM VI	[See Regulation 17(1)(c)]	
[See Regulation, 17(1)(a)]	Form of endorsement for sub-division of a stock cartificate	
Form of endorsement for renewal of a bond in the form of a promissory note.	Received in lieu of this stock certificatestock certificates for Rsrespectively of	
Received in lieu hereof, a renewed promissory note payable to (name of holder)	the per cent National Housing Bank Bonds with interest payable by the National Housing,	

representative of (Name of the registered holder)	instance of the said Housing Bank whoever may be a party to such suit be removed unto, tried and determined by the said High Court in its extraordinary original civil jurisd ction
FORM XI	at Bombay.
[See Regulation 17(1) (c)]	
Form of endorsement for consolidation of stock certificates	Whereas the said
Received in lieu of stock certificates Nos	to the said Housing Bank, for the renewal/consolidation/ sub-division of Bond(s) issued by the said Housing Bank mentioned in the schedule bereto.
National Housing Bank Bondswith interest payable by the National Housing Bank	And whereas the said Housing Bank has consented and agreed to accept the said application on the said
Signature of the registered holder/culy authorised	with two good and suffi- (name of Principal)
representative of (Name of the registered holder)	clent sureties entering into and executing the above written bond subject to the condition hercunder written.

FORM XII	A. A. A. B. about to all.
[See Regulation 17(1)(d)]	And whereas the above bounden
Form of endorsement for conversion of stock certificates ino promissory notes	(name of Surety/Surities) of the said
Received in lieu of this certificate	(name of Principal) has/have agreed to become surety/sureties for (name Principal)
with a new stock certificate for the balance amounting to Rs) with inverest payable by	and to join with the saidin executing (name of Principal)
the National Housing Bank.	the above written bond. Now the condition of the above Bond is such that if the above bounden
Signature of the registered holder/duly authorised re- presentative of (Name of the registered holder)	(name of theor each of
	Principal) (name of Sucety/Surities) them or their heirs, executors, administrators or representa-
FORM XIII	tives or any or either of them shall from time to time and at
[See Regulation 17(2)]	all times hereafter effectually save, defend, keep harmless and indemnified the said National Housing Bank from and
Know all men by these presents that	against the claims and demands of all persons claiming to be entitled to the Bond(s) issued by the said National Housing Bank mentioned in the schedules hereto or to any interest
weson of	thereon and of other persons whosoever in respect of the said Bond(s) or the renewal thereof or the payment of interest
Resident of	thereon and from and against all damages, losses, charges and expenses which the said Housing Bank may
(surety No 1) Resident of and son of	sustain, incur or be liable to for or in consequence of any such claim or demand or by reason of the issue of renewed
(surety on 2)	Bond(s) as a foresaid or the payment of any interest due on the said Bond(s) or renewed Bond(s) then the above written
hereby bind ourselves and each of us, and each of our heirs, executors, administrators and representatives and all of them jointly and severally to the National Housing Bank as established under the National Housing Bank Act, 1987 here-	bond shall be void but otherwise the same shall remain in full force and effect.
inafter referred to as "the said National Housing Bank" for payment of the sum of Rsto the	Signed and delivered byin the (name of Principal)
said National Housing Bank, its certain attorneys, successor and assigns.	presence ofand of
And I/cachofus the said(Name of Principal)	Date :
and	The schedule herein referred to
the said National Housing Bank that if any suit shall be brought touching the subject matter of this obligation of the	Nature and Number Date of Amount
condition hereunder written in any court subordinate to the High Court of Judicature at Bombay, the same, may at the,	description of issue the Bond
2124 GI/89	

FORM XIV

[See Regulation 22(b)]

Form of discharge for the Bonds held in the form of entry in the account with the National Housing Bank

To:
Manager, Bonds Section, National Housing Bank, Bombay
Dear Sir,
:%National Housing Bank Bond(s)(Series)
Received the principal amount with accrued interest on the date of maturity on the Captioned Bond(s) of the nomina face value of Rs. (Rupces

Bank to the Credit of It is certified that the nominal and the accrued interest as on the data my/our books.	nount of the Bo no (a) and
	Yours faithfully,
Signature of the registered holder(s)/ his duly authorised representative	
Name(s) of registered holder(s))
Place:	
	[F. No. 7(12)/89-CP)